राष्ट्रीय हिन्दी दैनिक

स्वतंत्र प्रभात

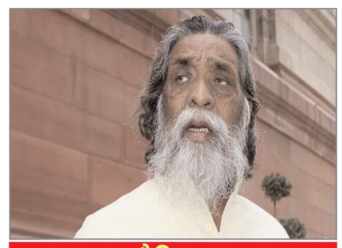

स्वतंत्र प्रभात दैनिक अख़बार तथा ऑनलाइन चैनल से सीधा जुड़ने के लिए संपर्क करें........ 9511151254

@swatantraprabhatmedia | @swatantramedia | RNI.No. UHIN/2012/43078 (epaper.swatantraprabhat.com) | @SwatantraPrabhatonline | news@swatantraprabhat.com

सीतापुर से प्रकाशित एंव अयोध्या ,प्रयागराज ,मिर्जापुर ,गोरखपुर , बरेली ,बुंदेलखंड , उत्तराखंड , देहरादून

सीतापुर, शुक्रवार, 13 फरवरी 2026
वर्ष 14, अंक 294, पृष्ट 04, मूल्यः 01 रुपया
www.swatantraprabhat.com

गाज़ियाबाद , दिल्ली , हरियाणा , चंडीगढ़ , झारखण्ड , बिहार , मध्य प्रदेश ,असम, तेलंगाना आदि जनपदो में प्रसारित

संदिग्ध हालात में युवक की मौत, घर के कमरे में फांसी पर लटका मिला शव..03

पीएस कालिंदी कुंज पुलिस ने 18 घंटे में सुलझाया लूट का मामला, तीन आरोपी गिरफ्तार ..04

'हार्वर्ड जैसी सोच से प्रभावित': सीजेआई के जस्टिस चंद्रचूड़ की जेंडर स्टीरियोटाइप हैंडबुक में संशोधन के निर्देश

स्वतंत्र प्रभात संवाददाता

नई दिल्ली- भारत के मुख्य न्यायाधीश सूर्यकांत ने मंगलवार (11 फरवरी) को कहा कि पूर्व मुख्य न्यायाधीश डीवाई चंद्रचूड़ द्वारा तैयार की गई 'हैंडबुक ऑन कॉम्बैटिंग जेंडर स्टीरियोटाइप्स' हैंडबुक (लैंगिक पूर्वाग्रहों से बचने के लिए बनाई गई पुस्तिका) बलात्कार पीड़ितों और आम लोगों के लिए ज्यादा उपयोगी नहीं है. उन्होंने कहा कि यह किताब 'बहुत ज्यादा तकनीकी' है और 'हार्वर्ड जैसी सोच से प्रभावित' लगती है. उन्होंने संकेत दिया कि इस पुस्तिका को अधिक व्यावहारिक और प्रभावी बनाने के लिए एक पैनल गठित किया जाएगा, जो इसमें आवश्यक संशोधन सुझाएगा।

ज्ञात हो कि साल 2023 में पूर्व मुख्य न्यायाधीश चंद्रचूड़ की पहले से पुस्तिका को इस उद्देश्य से तैयार किया गया था कि न्यायाधीश पितृसत्तात्मक भाषा को पहचान सकें और उससे बच सकें. लेकिन वर्तमान मुख्य न्यायाधीश सूर्यकांत का मानना है कि यह अत्यधिक अकादमिक है और मुकदमेबाजों की जमीनी हकीकत से जुड़ा नहीं है. उन्होंने इस विषय में व्यावहारिक प्रशिक्षण की आवश्यकता पर जोर दिया है।

सुप्रीम कोर्ट की ये टिप्पणियां उस स्वतः संज्ञान मामले की सुनवाई के दौरान आई, जो 17 मार्च 2025 को दिए गए इलाहाबाद हाईकोर्ट के एक फैसले से जुड़ा था. हाईकोर्ट ने कहा था कि 'स्तनों को पकड़ना' और महिला पीड़िता के पायजामे का कमरबंद तोड़ना बलात्कार का 'प्रयास' नहीं, बल्कि केवल बलात्कार की 'तैयारी' है. तैयारी और प्रयास के बीच किया गया यह अंतर कथित रूप से असंवेदनशील होने के कारण व्यापक आलोचना का विषय बना था।

सुप्रीम कोर्ट ने पिछले वर्ष ही इस फैसले का संज्ञान लेते हुए उस पर रोक लगा दी थी और न्यायिक दृष्टिकोण पर चिंता व्यक्त की थी. मंगलवार को मुख्य न्यायाधीश सूर्यकांत, जस्टिस जॉयमाल्या बागची और जस्टिस एनवी अंजारिया की पीठ ने औपचारिक रूप से हाईकोर्ट के फैसले को रद्द कर दिया और ट्रायल कोर्ट को आरोपियों के खिलाफ बलात्कार के प्रयास के आरोप में मुकदमा आगे बढ़ाने का निर्देश दिया।

पुस्तिका पर पीठ का मत

पीठ का मत है कि 30 पृष्ठों की इस पुस्तिका में यौन उत्पीड़न से जुड़े विभिन्न पहलुओं को अत्यधिक फॉरेंसिक और तकनीकी दृष्टिकोण से समझाया गया है, जिसे न तो पीड़िता, न उसके परिजन और न ही आम नागरिक आसानी से समझ पाएंगे. मुख्य न्यायाधीश ने स्पष्ट कहा, 'यह अत्यधिक हार्वर्ड-केंद्रित है।'

पीठ ने भोपाल स्थित राष्ट्रीय न्यायिक अकादमी (नेशनल ज्यूडिशियल एकेडमी - एनजेए) को निर्देश दिया कि वह विषय-विशेषज्ञों, शिक्षाविदों और अधिवक्ताओं को शामिल करते हुए एक समिति गठित करे. यह समिति पूरे विषय की पुनर्समीक्षा कर नए दिशा-निर्देश तैयार करे और अपनी रिपोर्ट सर्वोच्च न्यायालय को सौंपे।

न्यायाधीशों ने यह भी कहा कि इस प्रक्रिया में वकीलों की सहायता ली जाएगी, जिनमें एमिकस क्यूरी शोभा गुप्ता और वरिष्ठ अधिवक्ता एच.एस. फूलका शामिल हैं. पुस्तिका को अंतिम रूप दिए जाने के बाद एनजेए इसे उच्च न्यायालयों के न्यायाधीशों के लिए अध्ययन सामग्री के रूप में तैयार करे. न्यायाधीशों को चरणबद्ध तरीके से बुलाकर यौन उत्पीड़न के मामलों की सुनवाई में अपेक्षित संवेदनशीलता के बारे में प्रशिक्षण दिया जाए।

मुख्य न्यायाधीश ने टिप्पणी की, 'सुप्रीम कोर्ट में बैठकर उच्च न्यायालय के न्यायाधीशों को उपदेश देने से कोई लाभ नहीं. उन्हें राष्ट्रीय न्यायिक अकादमी में व्यावहारिक प्रशिक्षण दिया जाना चाहिए.' गौरतलब है कि पिछले वर्ष 26 मार्च को, तत्कालीन मुख्य न्यायाधीश डीवाई चंद्रचूड़ की अध्यक्षता में सर्वोच्च न्यायालय ने इस मामले का स्वतः संज्ञान लिया था और उच्च न्यायालय के फैसले पर रोक लगा दी थी. साथ ही, फैसले में झलक रही असंवेदनशीलता पर गहरी आपत्ति भी जताई थी।

16 अगस्त को जारी इस पुस्तिका में ऐसे अनेक शब्दों और वाक्यांशों की सूची दी गई है जो महिलाओं के प्रति पूर्वाग्रह या रूढ़ धारणाओं को मजबूत करते हैं. इनके स्थान पर अधिक संतुलित और तटस्थ भाषा के प्रयोग का सुझाव दिया गया है. उदाहरण के लिए, 'व्यभिचारिणी' जैसे शब्द के बजाय 'विवाह के बाहर संबंध रखने वाली महिला' जैसे वर्णनात्मक शब्दों के उपयोग की बात कही गई है. इसी प्रकार 'प्रेम प्रसंग' के स्थान पर 'विवाहेतर संबंध' शब्द के प्रयोग की अनुशंसा की गई है. पुस्तिका में यह भी सुझाव है कि कई अपमानजनक या नकारात्मक अर्थ वाले शब्दों - जैसे 'करिअर उन्मुखी महिला', 'पवित्र महिला', 'चरित्रहीन महिला', 'वेश्या', 'बदचलन महिला' - की जगह केवल 'महिला' शब्द का प्रयोग किया जाए, ताकि भाषा में निहित पूर्वाग्रह को कम किया जा सके।

भारी कीमत चुकाने को तैयार रहें, हम सब साजिश जानते हैं, CJI सूर्यकांत की जयराम रमेश को फटकार

स्वतंत्र प्रभात संवाददाता

राज्यसभा सांसद जयराम रमेश की याचिका पर सुप्रीम कोर्ट ने सुनवाई करने से इनकार कर दिया. सुप्रीम कोर्ट में सीजेआई जस्टिस सूर्यकांत की बेंच ने कांग्रेस सांसद जयराम रमेश पर नाराजगी जताते हुए फटकार लगाई. सीजेआई सूर्यकांत ने कहा कि भारी कीमत चुकाने के लिए तैयार रहें. हम इसके पीछे की साजिश जानते हैं. सुप्रीम कोर्ट में सीजेआई सूर्यकांत की तल्खी देखते हुए कांग्रेस सांसद और पूर्व मंत्री जयराम रमेश की तरफ से याचिका वापस ले ली गई।

दरअसल, सुप्रीम कोर्ट ने आज यानी गुरुवार 12 फरवरी को कांग्रेस नेता और राज्यसभा सांसद जयराम रमेश की एक्स-पोस्ट फैक्टो एनवायर्नमेंटल क्लीयरेंस (EC) दिए जाने के खिलाफ दायर की गई रिट पिटीशन पर सुनवाई की. याचिका देखते ही सुप्रीम कोर्ट ने सुनवाई से इनकार कर दिया. इस दौरान सीजेआई सूर्यकांत की बेंच ने जयराम रमेश से टफ सवाल पूछे. यहां एक्स-पोस्ट फैक्टो एनवायरमेंट क्लीयरेंस

(कार्योत्तर पर्यावरणीय मंजूरी) उन परियोजनाओं को दी जाने वाली मंजूरी है, जो बिना पहले से अनिवार्य पर्यावरणीय स्वीकृति (EC) लिए शुरू हो चुकी हैं।

सीजेआई ने पूछा तीखा सवाल

सुप्रीम कोर्ट में चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया सूर्यकांत (CJI) और जस्टिस जॉयमाल्या बागची की बेंच ने पूछा कि जब सुप्रीम कोर्ट ने वनशक्ति रिव्यू जजमेंट में एक्स-पोस्ट फैक्टो EC पर यूनियन के ऑफिस मेमोरेंडम को मंजूरी दी है तो रिट पिटीशन कैसे फाइल की जा सकती है? इस सवाल के साथ ही सुप्रीम कोर्ट ने कांग्रेस सांसद और पूर्व मंत्री जयराम रमेश पर नाराजगी जताई. इतना ही नहीं, सुप्रीम कोर्ट ने जुर्माना लगाने की धमकी भी दी।

स्ट की जयराम रमेश को फटकार

जयराम रमेश से नाराजगी जताते हुए सीजेआई सूर्यकांत की अध्यक्षता वाली पीठ ने कहा, 'आप एक जिम्मेदार नेता हैं. अगर यह गलत साबित हुआ तो इसकी भारी कीमत चुकाने के लिए तैयार रहें. हम इसके पीछे की साजिश जानते हैं.' दरअसल, जयराम रमेश ने केंद्र द्वारा जारी उस कार्यालय ज्ञापन को चुनौती दी है. इसमें पर्यावरण संबंधी पूर्वव्यापी मंजूरी पर सुप्रीम कोर्ट के फैसले को लागू करने का प्रावधान है।

सुप्रीम कोर्ट में क्या-क्या हुआ, सीजेआई ने और क्या-क्या कहा?

सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि कार्यालय ज्ञापन सुप्रीम कोर्ट के फैसले को लागू करने के लिए है, इसलिए चुनौती फैसले को दी गई है।

सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि क्या कोई रिट याचिका के जरिए फैसले को चुनौती दे सकता है? यह तो सिर्फ मीडिया के लिए है।

जब सुप्रीम कोर्ट ने भारी जुर्माने की चेतावनी दी तो कांग्रेस सांसद जयराम रमेश ने सुप्रीम कोर्ट से अपनी याचिका वापस ले ली।

घूसखोर पंडत टाइटल से फिल्म के रिलीज पर लगी रोक, सुप्रीम कोर्ट ने नाम बदलने का दिया आदेश

स्वतंत्र प्रभात संवाददाता

नई दिल्ली- नेटफ्लिक्स की अगली फिल्म 'घूसखोर पंडत' का प्रोमो आने के बाद फिल्म विवादों में घिर गई. मनोज बाजपेयी स्टारर फिल्म के टाइटल पर इतना हंगामा मचा कि मामला सुप्रीम कोर्ट तक पहुंचा गया. सुनवाई के दौरान सुप्रीम कोर्ट ने फिल्ममेकर नीरज पांडे की फिल्म के टाइटल को लेकर कड़ी नाराजगी जताई है और इस टाइटल से फिल्म के रिलीज पर रोक लगा दी. कोर्ट ने दो टूक कहा कि किसी समाज के एक वर्ग को इस तरह के नाम से क्यों बदनाम किया जा रहा है? इस टाइटल से फिल्म रिलीज नहीं होगी. हाईकोर्ट से भी मेकर्स को झटका लग चुका है. मामले की सुनवाई के दौरान शीर्ष अदालत ने फिल्म निर्माता नीरज पांडे को हलफनामा दाखिल करने का निर्देश दिया है. कोर्ट ने कहा कि हलफनामे में स्पष्ट रूप से यह बताया जाए कि फिल्म किसी भी समाज या समुदाय के किसी वर्ग का अपमान या अवमानना नहीं करती है।

CBFC की भूमिका पर जताई नाराजगी

सुप्रीम कोर्ट ने यह भी संकेत दिया कि फिल्म की सामग्री को लेकर जो आपत्तियां सामने आई हैं, उन पर निर्माता पक्ष को अपनी स्थिति पारदर्शी ढंग से रखनी होगी. सुनवाई के दौरान अदालत ने केंद्रीय फिल्म

प्रमाणन बोर्ड (CBFC) की भूमिका पर भी नाराजगी जताई. जजों ने सवाल किया कि जब फिल्म को प्रमाणपत्र दिया गया, तब क्या संभावित विवादित पहलुओं पर पर्याप्त विचार किया गया था. कोर्ट की टिप्पणी से यह संकेत मिला कि वह प्रमाणन प्रक्रिया की गंभीरता और जवाबदेही को लेकर संतुष्ट नहीं है।

समुदाय विशेष का किया टारगेट

याचिकाकर्ताओं का कहना है कि फिल्म का शीर्षक और कुछ हिस्से विशेष समुदाय की भावनाओं को ठेस पहुंचा सकते हैं. वहीं निर्माता पक्ष का तर्क है कि फिल्म का उद्देश्य किसी का अपमान करना नहीं, बल्कि एक सामाजिक व्यंग्य प्रस्तुत करना है।

19 फरवरी को होगी अगली सुनवाई

अब सभी की नजरें अगली सुनवाई पर टिकी हैं, जो 19 फरवरी को निर्धारित की गई है. माना जा रहा है कि तब तक निर्माता द्वारा दाखिल किया जाने वाला हलफनामा इस पूरे विवाद की दिशा तय करने में अहम भूमिका निभाएगा।

सीतापुर में दर्दनाक हादसाः तेज रफ्तार ट्रक ने बाइक को मारी टक्कर, ससुर-दामाद समेत 3 लोगों की मौत

सीतापुर। कमलापुर में मास्टरबाग मार्ग पर बुधवार की शाम बेहड़ा बैकुंठपुर के पास ट्रक ने बाइक को टक्कर मार दी। हादसे में बाइक सवार ससुर, दामाद और नाती की मौत हो गई। ट्रक लेकर चालक भाग गया। पुलिस तलाश में जुटी है। मानपुर के भिठौली के आकाश, उनके पिता हरिकेश और कमलापुर के हरिहरपुर जमरखा निवासी उनके नाना गया प्रसाद मास्टरबाग रिश्ता देखने गए थे। वापस आते समय बेहड़ा बैकुंठपुर के पास आकाश ने बाइक रोक दी। उधर, पीछे से आ रहे ट्रक ने टक्कर मार दी। घटना को देखकर आसपास खेतों पर काम कर रहे किसान घटनास्थल की ओर भागे। मौके पर पहुंचने से पहले ही बाइक सवार तीनों की मौत हो चुकी थी। ट्रक लेकर चालक भी भाग चुका था। ग्रामीणों ने पुलिस को सूचना दी। थानाध्यक्ष इतुल चौधरी ने बताया कि ट्रक और चालक तलाश की जा रही है।

हेलमेट नहीं लगाए थे बाइक सवार

आए दिन हो रही मार्ग दुर्घटनाओं के बावजूद लोगों यातायात नियमों का पालन नहीं कर रहे हैं। बुधवार को हुए हादसे में जान गंवाने वाले बाइक सवार भी हेलमेट नहीं लगाए थे। साथ ही एक ही बाइक तीनों लोग सवार थे। प्रत्यक्षदर्शियों के मुताबिक बाइक चला रहे आकाश ने बीचोबीच मार्ग पर गाड़ी रोक दी थी। इससे पीछे से आ रहे ट्रक ने टक्कर मार दी। टक्कर इतनी तेज थी कि बाइक कई फीट दूर जाकर गिरी। बाइक सवार लहूलुहान हो गए और मौके पर ही दम तोड़ दिया।

संक्षिप्त ख़बरें

व्यापार युद्ध पर फंसे ट्रंप : कनाडा पर टैरिफ के खिलाफ अमेरिकी संसद में बगावत

अमेरिकी प्रतिनिधि सभा ने देश के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप द्वारा कनाडा पर लगाए गए शुल्क को पलटने के लिए मतदान किया जो 'व्हाइट हाउस' (अमेरिका के राष्ट्रपति का आधिकारिक आवास एवं कार्यालय) के एजेंडे की एक दुर्लभ लेकिन काफी हद तक प्रतीकात्मक आलोचना है। बुधवार को इस प्रस्ताव के पक्ष में 219 और इसके खिलाफ 211 मत पड़े। ऐसा संभवतः पहली बार है जब रिपब्लिकन पार्टी के नियंत्रण वाली प्रतिनिधि सभा ने किसी महत्वपूर्ण नीति को लेकर राष्ट्रपति का विरोध किया है। प्रस्ताव का उद्देश्य उस राष्ट्रीय आपात स्थिति को समाप्त करना है, जिसे ट्रंप ने शुल्क लगाने के लिए घोषित किया है लेकिन इस नीति को पलटने के लिए वास्तव में ट्रंप के भी समर्थन की आवश्यकता होगी जो असंभव प्रतीत होता है।

यह प्रस्ताव अब सीनेट के पास जाएगा। ट्रंप का मानना है कि शुल्क अमेरिकी व्यापार साझेदारों को बातचीत की मेज पर लाने के लिए असरदार हैं लेकिन सांसदों को अपने-अपने क्षेत्रों में व्यापार युद्धों के कारण जूझ रहे कारोबारियों एवं इनके जेब पर पड़ने वाले असर एवं ऊंची कीमतों से परेशान मतदाताओं की नाराजगी का सामना करना पड़ रहा है। प्रतिनिधि सभा की विदेश मामलों की समिति में डेमोक्रेटिक पार्टी के शीर्ष नेता एवं न्यूयॉर्क से सांसद ग्रेगरी मीक्स ने यह प्रस्ताव पेश किया। उन्होंने कहा, ''आज का मतदान सरल है, बहुत सरल- क्या आप अमेरिकी परिवारों के लिए जीवनयापन की लागत घटाने के पक्ष में वोट देंगे या एक व्यक्ति-डोनाल्ड जे. ट्रंप-के प्रति वफादारी के कारण कीमतें ऊंची बनाए रखेंगे?'' यह मतदान राष्ट्रपति के कदमों को लेकर प्रतिनिधि सभा की बेचैनी की एक झलक देता है। सीनेट ने असंतोष जताते हुए पहले ही कनाडा और अन्य देशों पर ट्रंप के शुल्कों को खारिज करने के पक्ष में मतदान किया है लेकिन शुल्कों में कटौती के लिए दोनों सदनों को प्रस्ताव मंजूर कर राष्ट्रपति के हस्ताक्षर के लिए ट्रंप के पास भेजना होगा। ट्रंप ने प्रस्तावित चीन व्यापार समझौते को लेकर कनाडा से आयातित वस्तुओं पर 100 प्रतिशत शुल्क लगाने की हाल में धमकी दी थी जिससे कनाडाई प्रधानमंत्री मार्क कार्नी के साथ उनकी तनातनी और बढ़ गई।

भारतीय सेना के जवान के परिवार को मिलेगा 29 लाख मुआवजा, HC ने बरकरार रखा फैसला, UPSRTC की याचिका खारिज

स्वतंत्र प्रभात संवाददाता

उत्तराखंड हाई कोर्ट ने अपने एक अहम फैसले में 15 साल पहले हुए एक सड़क हादसे में मारे गए भारतीय सेना के एक जवान के परिवार को दिए गए करीब 29 लाख रुपये के मुआवजे को बरकरार रखा है. कोर्ट का मानना है कि यह हादसा ड्राइवर की लापरवाही के वजह से हुआ जब परिवहन निगम की बस एक खड़े ट्रक से टकरा गई. जस्टिस पंकज पुरोहित की सिंगल बेंच ने कल बुधवार को पिथौरागढ़ मोटर एक्सीडेंट क्लेम ट्रिब्यूनल के उस आदेश को बरकरार रखा है जिसमें उत्तर प्रदेश राज्य सड़क परिवहन निगम (UPSRTC) को मृतक जवान के परिवार को ब्याज समेत 28.91 लाख रुपये देने का निर्देश दिया गया था. साथ ही कोर्ट ने परिवहन निगम की अपील भी खारिज कर दी।

ड्राइवर की लापरवाही से हुआ

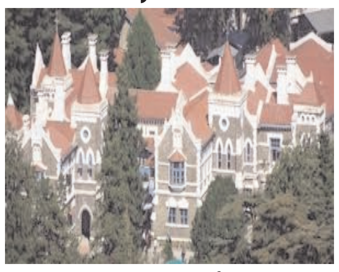

हादसाः कोर्ट

हाई कोर्ट ने साल 2011 में एक सड़क हादसे में मारे गए भारतीय सेना के एक जवान के परिवार को दिए गए मुआवजे के फैसले को बरकरार रखा है. कोर्ट ने सुनवाई के दौरान माना कि यह हादसा ड्राइवर की लापरवाही की वजह से हुआ था. लापरवाही की वजह से ही परिवहन निगम की बस एक खड़े ट्रक से टकरा गई जिसकी वजह से सेना के जवान की मौत हो गई. भारतीय सेना की 5वीं गार्ड्स रेजिमेंट के नायक गणेश सिंह 7 जुलाई, 2011 को उत्तर प्रदेश राज्य सड़क परिवहन निगम की बस में उत्तर प्रदेश के बरेली शहर से उत्तराखंड के टनकपुर जा रहे थे. लेकिन कुछ समय बाद बस ड्राइवर ने नियंत्रण खो दिया और गाड़ी सड़क किनारे खड़े एक ट्रक से टकरा गई।

गवाह के तौर पर पेश नहीं ड्राइवर, अपील खारिज

इस हादसे की वजह से गणेश सिंह गंभीर रूप से घायल हो गए और हॉस्पिटल में इलाज के दौरान उनकी मौत हो गई.उत्तर प्रदेश राज्य सड़क परिवहन निगम ने कोर्ट के समक्ष दावा करते हुए अपना पक्ष रखा कि यह हादसा एक साइकिल सवार को बचाने की कोशिश में हो गया और ट्रक भी गलत जगह पर पार्क किया गया था. हालांकि, कोर्ट ने इस दलील को नहीं माना. हाई कोर्ट ने इस आधार पर दलील खारिज कर दी कि बस ड्राइवर को गवाह के तौर पर पेश नहीं किया गया और दावे को सपोर्ट करने के लिए कोई सबूत भी पेश नहीं किया गया।

पूर्व सेनाध्यक्ष नरवणे की किताब पर साजिश का खुलासा, 4 देशों में सर्कुलेट हुई कॉपी

स्वतंत्र प्रभात संवाददाता

भारतीय सेना के पूर्व प्रमुख जनरल एमएम नरवणे की अप्रकाशित किताब के कथित तौर पर सर्कुलेशन को लेकर जांच तेजी से चल रही है. दिल्ली पुलिस के स्पेशल सेल से जुड़े सूत्रों के मुताबिक शुरुआती जांच में सुनियोजित साजिश के संकेत मिल रहे हैं. जांच में यह बात भी सामने आई कि किताब का सर्कुलेशन कनाडा और ऑस्ट्रेलिया के अलावा जर्मनी और अमेरिका में भी किया गया।

सूत्रों का कहना है कि शुरुआती जांच में यह बात निकलकर सामने आई है कि नरवणे की किताब को रक्षा मंत्रालय (MoD) की अनिवार्य क्लीयरेंस प्रोसेस को बाईपास कर सुनियोजित तरीके से लीक किया गया. यही नहीं अमेरिका के साथ-साथ कनाडा, ऑस्ट्रेलिया और जर्मनी जैसे देशों में किताब का सर्कुलेशन भी किया गया. दिल्ली पुलिस की स्पेशल सेल केस की जांच कर रही है।

आपराधिक साजिश के तहत स्त्रढ्क्र दर्ज

फिलहाल स्पेशल सेल ने आपराधिक साजिश (Criminal Conspiracy) की कई धाराओं के तहत FIR दर्ज कर लिया है. पुलिस ने जांच का दायरा अमेरिका, कनाडा, जर्मनी और ऑस्ट्रेलिया तक बढ़ा दिया. मामले की जांच तेज करते हुए सर्कुलेशन को लेकर इंटरनेशनल कनेक्शन

भी खंगाले जा रहे हैं. यही नहीं डिजिटल ट्रेल और पब्लिशिंग नेटवर्क तथा इंटरनेशनल लिंक की भी जांच की जा रही है।

इससे पहले दिल्ली पुलिस ने कल बुधवार को जनरल नरवणे की अप्रकाशित किताब के कथित सर्कुलेशन की जांच में आपराधिक साजिश के आरोप जोड़े हैं. साथ ही इसके प्रकाशक पेंगुइन रैंडम हाउस इंडिया को नोटिस जारी कर मामले में स्पष्टीकरण मांगा है।

डिजिटल प्लेटफॉर्म पर कैसे हुई सर्कुलेट

पुलिस के एक सीनियर अफसर का कहना है कि हमारी जांच अब यह पता लगाने को लेकर है कि क्या किताब की पांडुलिपि (Manuscript) के कथित लीक और उसके बाद डिजिटल प्लेटफॉर्म पर सर्कुलेट होने के पीछे क्या कोई आपराधिक साजिश थी. यह केस किताब के पब्लिश होने से पहले सोशल मीडिया और अन्य ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर पीडीएफ वर्जन के कथित गैरकानूनी सर्कुलेशन से संबंधित है।

अफसर ने कहा, 'दिल्ली पुलिस के स्पेशल सेल ने पेंगुइन रैंडम हाउस इंडिया को नोटिस जारी किया है. नोटिस के जरिए पब्लिशर से कई सवाल पूछे गए हैं और मामले को लेकर विस्तृत जानकारी भी मांगी गई है. यह भी पूछा गया कि किताब की पांडुलिपि पब्लिश होने से पहले ही कथित तौर पर कैसे सर्कुलेट हो गई।

सोमवार को दर्ज की गई स्त्रढ्क्र

किताब के पब्लिश होने से पहले इसकी पांडुलिपि के सामने आने और गलत तरीके से प्रसार के संबंध में सोमवार को एफआईआर दर्ज की गई थी. जांच टीम इस बात की पड़ताल में जुटी है कि पीडीएफ का स्रोत क्या है, इसे किन परिस्थितियों में अपलोड या सर्कुलेट किया गया और क्या इसके प्रकाशन, कॉपीराइट या आधिकारिक मंजूरी से जुड़े किसी नियम का उल्लंघन हुआ है या नहीं. यह मामला तब सामने आया जब पिछले दिनों लोकसभा में विपक्ष के नेता राहुल गांधी ने सदन में अपने भाषण के दौरान चीन का मामला उठाते हुए किताब के कुछ अंश का जिक्र किया था. जारी विवाद के बीच पेंगुइन रैंडम हाउस इंडिया का कहना है कि अभी यह किताब पब्लिश नहीं हुई है।

एक्साइज पॉलिसी केस में HC से केजरीवाल को राहत, ED के समन के खिलाफ वापस ली याचिका

स्वतंत्र प्रभात संवाददाता

आम आदमी पार्टी (AAP) के नेता अरविंद केजरीवाल ने प्रवर्तन निदेशालय (ED) की ओर से जारी समन के खिलाफ अपनी याचिका वापस ले ली है. इससे पहले दिल्ली हाई कोर्ट ने आज गुरुवार को आम अरविंद केजरीवाल को एक्साइज पॉलिसी से जुड़े मनी लॉन्ड्रिंग केस की जांच के सिलसिले में प्रवर्तन निदेशालय की ओर से उन्हें जारी समन को चुनौती देने वाली अपनी याचिका वापस लेने की इजाजत दे दी।

दिल्ली के पूर्व मुख्यमंत्री की ओर से पेश सीनियर वकील ने कोर्ट से कहा कि वह इस केस को आगे नहीं बढ़ाना चाहते क्योंकि समन के बाद जांच एजेंसी के सामने पेश नहीं होने के कारण उनके खिलाफ क्रिमिनल केस में उन्हें पहले ही बरी कर दिया गया था. हालांकि ED की ओर से पेश एडिशनल सॉलिसिटर जनरल एसवी राजू ने कहा कि जांच एजेंसी ट्रायल कोर्ट के फैसले के खिलाफ अपील करेगी।

'मैं याचिका पर जोर नहीं दूंगा'

केजरीवाल के सीनियर वकील ने कहा, 'काफी समय निकल गया है. मैं याचिका पर जोर नहीं दूंगा. मैं सही समय पर संवैधानिक दलीलों पर विचार करूंगा. ' हाई कोर्ट के चीफ जस्टिस डीके उपाध्याय और जस्टिस तेजस करिया की बेंच ने दलील सुनने के

बाद कहा, 'इसलिए, याचिका वापस ली हुई मानकर खारिज की जाती है.' बेंच ने यह भी साफ किया कि याचिका में सभी लीगल दलीलें खुली रखी गई हैं. इससे पहले पिछले महीने 22 जनवरी को, ट्रायल कोर्ट ने अरविंद केजरीवाल को उनके खिलाफ दर्ज 2 अलग-अलग केस में बरी कर दिया था. ये केस कथित एक्साइज़ पॉलिसी स्कैम की जांच में शामिल होने के लिए भेजे गए समन के बाद जांच एजेंसी ED के समक्ष पेश नहीं होने के लिए दर्ज किए गए थे।

समन के खिलाफ क्यों HC गए थे केजरीवाल

यह देखते हुए कि आरोपी एक मौजूदा मुख्यमंत्री थे और 'उन्हें भी आने-जाने का अपना संवैधानिक अधिकार मिला हुआ था ', ट्रायल कोर्ट ने कहा कि 'समन की सही सर्विस की कानूनी चुनौती मेंटेनेबल है' और ED यह साबित करने में नाकाम रहा कि AAP नेता ने जानबूझकर समन नहीं माने. केजरीवाल ने ED की ओर से 21 मार्च, 2024 को पेश होने के लिए जारी किए गए नौवें समन के बाद इस मामले में हाई कोर्ट का दरवाजा खटखटाया था. हाई कोर्ट बेंच ने 20 मार्च, 2024 को जांच एजेंसी से पिटीशन मेंटेनेबल होने के बारे में अपना जवाब दाखिल करने को कहा था. इसके अगले दिन, कोर्ट ने ED से केजरीवाल की गिरफ्तारी से सुरक्षा की अर्जी पर भी जवाब देने को कहा, और कहा कि 'इस स्टेज पर' वह कोई अंतरिम राहत देने के लिए तैयार नहीं है. उसी शाम केजरीवाल को ED ने गिरफ्तार कर लिया. पूर्व मुख्यमंत्री केजरीवाल अभी मनी लॉन्ड्रिंग मामले में अंतरिम बेल पर हैं. सुप्रीम कोर्ट ने प्रिवेंशन ऑफ मनी लॉन्ड्रिंग एक्ट (PMLA) के तहत 'गिरफ्तारी की जरूरत और अनिवार्यता' के पहलू पर सवालों को गहराई से विचार के लिए एक बड़ी बेंच को भेज दिया है. 26 जून, 2024 को भ्रष्टाचार से जुड़े मामले में CBI द्वारा गिरफ्तार किए जाने के बाद, सुप्रीम कोर्ट ने उन्हें 13 सितंबर, 2024 को इस मामले में बेल दे दी थी।

एआई पर लगाम, झूठ पर विराम: नया डिजिटल फरमान

[फेक फैक्ट्री पर बुलडोज़र: भारत का टेक स्ट्राइक]

[एआई युग में भरोसे की रक्षा: भारत का नया डिजिटल कवच]

डिजिटल दुनिया में अब लापरवाही और देरी की कोई जगह नहीं बची है। एक झूठी खबर या फर्जी वीडियो कुछ ही मिनटों में लाखों लोगों तक पहुंच सकता है और समाज में उथल-पुथल मचा सकता है। इसी गंभीर खतरे को समझते हुए भारत ने तकनीकी इतिहास में एक सख्त और निर्णायक कदम उठाया है। 10 फरवरी 2026 को जारी संशोधित आईटी नियमों के तहत सरकार ने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स को अवैध और हानिकारक सामग्री हटाने के लिए केवल तीन घंटे का अल्टीमेटम दिया है, जो 20 फरवरी 2026 से लागू होगा। पहले जहां कंपनियों को 36 घंटे का समय मिलता था, अब वह घटकर मात्र तीन घंटे रह गया है। यह फैसला साफ संदेश देता है कि भारत अब डीपफेक, फर्जी खबरों और डिजिटल अराजकता के खिलाफ किसी भी तरह की ढिलाई बर्दाश्त नहीं करेगा।

इन नए नियमों का सबसे महत्वपूर्ण पहलू एआई-जनरेटेड सामग्री पर विशेष ध्यान देना है। अब सभी कृत्रिम रूप से तैयार किए गए ऑडियो, वीडियो और चित्रों को स्पष्ट रूप से लेबल करना अनिवार्य होगा। प्लेटफॉर्म्स को यह सुनिश्चित करना होगा कि उपयोगकर्ता यह घोषणा करें कि उनकी सामग्री एआई से बनी है या नहीं। साथ ही, जहां संभव हो, स्थायी मेटाडेटा को एम्बेड करना होगा, ताकि मूल स्रोत का पता लगाया जा सके। यह व्यवस्था डीपफेक और फर्जी वीडियो के बढ़ते खतरे पर रोक लगाने में अत्यंत सहायक सिद्ध होगी। इससे महिलाओं, सार्वजनिक हस्तियों और आम नागरिकों की गरिमा सुरक्षित होगी और समाज में विश्वास का वातावरण बनेगा।

तीन घंटे की समयसीमा पहली नजर में सोशल मीडिया कंपनियों के लिए कठिन लग सकती है, लेकिन वास्तव में यह एक सकारात्मक और रचनात्मक दबाव है। मेटा, यूट्यूब और एक्स जैसे बड़े प्लेटफॉर्म्स अब अपनी तकनीकी क्षमताओं को और अधिक मजबूत करेंगे। एआई आधारित मॉडरेशन सिस्टम, ऑटोमेटेड डिटेक्शन टूल्स और रियल-टाइम मॉनिटरिंग तकनीकों का तेजी से विकास होगा। भारत का विशाल डिजिटल बाजार कंपनियों को मजबूर करेगा कि वे बेहतर और अधिक जिम्मेदार प्रणालियां विकसित करें। इससे न केवल भारत में, बल्कि वैश्विक स्तर पर भी डिजिटल सुरक्षा के मानक ऊंचे होंगे। यह नियम कंपनियों को नवाचार के लिए प्रेरित करता है, न कि उन्हें सीमित करता है। इस नीति का सबसे बड़ा लाभ महिलाओं, बच्चों और कमजोर वर्गों को मिलेगा। गैर-सहमति वाली अंतरंग तस्वीरों और वीडियो के मामलों में अब केवल दो घंटे की समयसीमा तय की गई है, जो पीड़ितों को त्वरित राहत प्रदान करेगी। पहले ऐसी सामग्री घंटों या दिनों तक वायरल हो जाती थी, जिससे मानसिक और सामाजिक नुकसान होता था। अब हटाने की प्रक्रिया इतनी तेज होगी कि नुकसान को काफी हद तक रोका जा सकेगा। सरकार ने स्पष्ट किया है कि यह नियम राष्ट्रीय सुरक्षा, सार्वजनिक व्यवस्था और बाल यौन शोषण से जुड़ी सामग्री पर विशेष ध्यान देता है। इससे डिजिटल हिंसा में कमी आएगी और समाज में सुरक्षा की भावना मजबूत होगी।

नियमों की मजबूती को और बढ़ाने के लिए सरकार ने प्लेटफॉर्म्स पर अनुपालन की जिम्मेदारी को और सख्त किया है। यदि कोई इंटरमीडियरी इन निर्देशों का पालन नहीं करता, तो उसे सुरक्षित हार्बर संरक्षण खोने का खतरा होगा, जो कंपनियों को और अधिक जिम्मेदार बनाएगा। साथ ही, उपयोगकर्ता शिकायतों के निवारण को और मजबूत किया गया है, जिससे पीड़ितों को तेज न्याय मिलेगा। प्लेटफॉर्म्स को अब हर तिमाही उपयोगकर्ताओं को एआई दुरुपयोग के खतरों पर स्पष्ट चेतावनी जारी करनी होगी, ताकि लोग स्वयं सतर्क रहें। ये प्रावधान डिजिटल पारिस्थितिकी को अधिक जवाबदेह और सक्रिय बनाते हैं, जहां सुरक्षा केवल नियमों से नहीं, बल्कि सामूहिक जागरूकता से भी मजबूत होगी।

एआई कंटेंट पर लेबलिंग और ट्रेसेबिलिटी का प्रावधान भारत के डिजिटल इतिहास में एक मील का पत्थर है। अब फर्जी वीडियो और झूठी खबरों की पहचान करना पहले से कहीं अधिक आसान होगा। मेटाडेटा को हटाना या बदलना अपराध की श्रेणी में आएगा, जिससे अपराधियों के लिए छिपना कठिन हो जाएगा। यह व्यवस्था लोकतंत्र की रक्षा में भी महत्वपूर्ण भूमिका निभाएगी, क्योंकि चुनावी समय में गलत सूचनाएं सबसे बड़ा खतरा बन जाती हैं। भारत अब जिम्मेदार एआई गवर्नेंस का एक आदर्श मॉडल प्रस्तुत कर रहा है, जहां नवाचार और सुरक्षा के बीच संतुलन बनाए रखा गया है।

इन नियमों के लागू होने से प्लेटफॉर्म्स का अनुपालन स्तर बढ़ेगा और उपयोगकर्ताओं का अनुभव अधिक सुरक्षित बनेगा। अब लोग बिना भय के अपनी बात साझा कर सकेंगे, क्योंकि उन्हें भरोसा होगा कि हानिकारक सामग्री पर तुरंत कार्रवाई होगी। शिकायत निवारण तंत्र को भी मजबूत किया गया है, जिससे उपयोगकर्ताओं को तेजी से न्याय मिलेगा। पारदर्शिता और जवाबदेही बढ़ने से डिजिटल इकोसिस्टम अधिक विश्वसनीय बनेगा।

भारत का इंटरनेट अब केवल विशाल ही नहीं, बल्कि सुरक्षित और भरोसेमंद भी होगा, जो डिजिटल विकास के लिए एक मजबूत आधार तैयार करेगा। दीर्घकालिक दृष्टि से यह नियम डिजिटल साक्षरता और जागरूकता को भी बढ़ावा देगा। लोग एआई से बनी सामग्री को पहचानना सीखेंगे और फर्जी खबरों के प्रति अधिक सतर्क होंगे। सरकार, शैक्षणिक संस्थान और तकनीकी कंपनियां मिलकर जागरूकता अभियान चलाएंगी। इससे समाज में डिजिटल जिम्मेदारी की भावना विकसित होगी। सुरक्षित और नियंत्रित वातावरण के कारण विदेशी और घरेलू निवेश में भी वृद्धि होगी, क्योंकि नवाचार के लिए स्थिरता आवश्यक होती है। यह नीति भारत को एक वैश्विक डिजिटल लीडर के रूप में स्थापित करने की दिशा में महत्वपूर्ण कदम है।

हालांकि कुछ आलोचक इसे कठोर और अव्यावहारिक मानते हैं, परंतु डिजिटल युग की तीव्र गति को देखते हुए यह समयसीमा आज की सबसे बड़ी आवश्यकता बन चुकी है। आज कोई भी सूचना कुछ ही पलों में करोड़ों लोगों तक पहुंच जाती है, जिससे उसके प्रभाव भी उतने ही व्यापक और गहरे होते हैं। ऐसे में केवल त्वरित और निर्णायक कार्रवाई ही वास्तविक सुरक्षा सुनिश्चित कर सकती है। सरकार ने संतुलन साधने का प्रयास किया है, ताकि न तो अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता पर अनावश्यक अंकुश लगे और न ही लापरवाही को बढ़ावा मिले। भारत का तीन घंटे का अल्टीमेटम यह स्पष्ट संदेश देता है कि डिजिटल स्वतंत्रता के साथ जिम्मेदारी भी उतनी ही अनिवार्य है। निस्संदेह, यह कदम हमें एक सुरक्षित, पारदर्शी और सशक्त डिजिटल भविष्य की दिशा में अग्रसर करेगा।

प्रो. आरके जैन 'अरिजीत'

संपादकीय

सदन की मर्यादा पर सवाल लोकतंत्र का मंदिर या सियासत का अखाड़ा?

बिहार विधान परिषद में हालिया हंगामे ने एक बार फिर यह सोचने पर मजबूर कर दिया है कि क्या हमारे जनप्रतिनिधि लोकतंत्र की गरिमा को समझ रहे हैं या नहीं। मंत्री अशोक चौधरी और राजद के सुनील कुमार सिंह के बीच जिस तरह की तीखी नोकझोंक हुई, वह केवल राजनीतिक मतभेद नहीं था, बल्कि भाषा और आचरण की सीमाओं का खुला उल्लंघन था। आरोप-प्रत्यारोप का सिलसिला इतना बढ़ गया कि बात हाथापाई तक पहुंच गई और मार्शलों को बीच-बचाव करना पड़ा। सदन की कार्यवाही बाधित हुई, सभापति को हस्तक्षेप करना पड़ा और विपक्षी सदस्यों को दिन भर के लिए बाहर करना पड़ा। यह दृश्य केवल एक दिन की अव्यवस्था नहीं था, बल्कि लोकतांत्रिक संस्थाओं के स्तर में गिरावट का संकेत था।

सदन को लोकतंत्र का मंदिर कहा जाता है। यहां जनता द्वारा चुने गए प्रतिनिधि बैठते हैं, जो राज्य की नीतियां तय करते हैं, कानून बनाते हैं और सरकार से जवाबदेही मांगते हैं। लेकिन जब इसी सदन में 'चोट्टा', 'चोर' और 'घोटालेबाज' जैसे शब्द गूंजते हैं, जब 'औकात' जैसी भाषा का इस्तेमाल होता है, तब यह सवाल उठना स्वाभाविक है कि क्या हम अपने लोकतंत्र को सही दिशा में ले जा रहे हैं। बहस और विरोध लोकतंत्र की आत्मा हैं, लेकिन गाली-गलौज और व्यक्तिगत हमले उसकी आत्मा को आहत करते हैं। हंगामे की शुरुआत कार्यवाही में देरी को लेकर हुई। विपक्ष ने मुख्यमंत्री द्वारा कथित अभद्र टिप्पणी और राबड़ी देवी के अपमान का मुद्दा उठाया। सत्ता पक्ष ने इसे प्रक्रिया का मामला बताया। धीरे-धीरे वातावरण गरमाता गया और व्यक्तिगत आरोपों का दौर शुरू हो गया। मंत्री और विपक्षी सदस्य आमने-सामने आ गए। जिस तरह की भाषा का प्रयोग हुआ, वह लिखने योग्य भी नहीं है। सदन के भीतर की यह स्थिति आम नागरिकों के लिए निराशाजनक है, क्योंकि वे उम्मीद करते हैं कि उनके प्रतिनिधि संयम और शालीनता का उदाहरण पेश करेंगे।

यह पहला अवसर नहीं है जब बिहार की राजनीति में सदन के भीतर शालीनता पर प्रश्नचिह्न लगा हो। पूर्व मुख्यमंत्री राबड़ी देवी और लालू प्रसाद यादव के कार्यकाल के दौरान भी कई बार सदन में तीखी बहसें और हंगामे हुए। 1990 के दशक में चारा घोटाले को लेकर विपक्ष और सत्ता पक्ष के बीच जबरदस्त टकराव देखने को मिला था। उस समय भी आरोप-प्रत्यारोप और राजनीतिक कटाक्षों ने सदन की कार्यवाही को कई बार बाधित किया। हालांकि उस दौर की राजनीति में भी कटुता थी, लेकिन यह अपेक्षा की जाती रही कि व्यक्तिगत मर्यादा की एक सीमा बनी रहे। लोकतांत्रिक विमर्श में असहमति स्वाभाविक है, परंतु असभ्यता स्वीकार्य नहीं हो सकती।

आज की घटना में जो बात अधिक चिंताजनक है, वह यह है कि राजनीतिक दल एक-दूसरे को सुनने की बजाय केवल आरोप लगाने में लगे दिखाई देते हैं। विपक्ष को अपनी बात रखने और सरकार से सवाल पूछने का पूरा अधिकार है। वहीं सत्ता पक्ष की जिम्मेदारी है कि वह धैर्यपूर्वक जवाब दे और आलोचना को लोकतांत्रिक प्रक्रिया का हिस्सा माने। लेकिन जब संवाद की जगह टकराव ले लेता है, तो लोकतंत्र कमजोर होता है।

बिहार विधानसभा में भी इसी दिन बच्चियों के खिलाफ बढ़ते अपराध, नीट छात्र की मौत और राबड़ी देवी के अपमान को लेकर जोरदार नारेबाजी हुई। कांग्रेस विधायकों द्वारा सरकार का पुतला सदन में लाना और उसे चूड़ियां पहनाना प्रतीकात्मक विरोध था, परंतु इससे भी सदन की कार्यवाही प्रभावित हुई। विरोध दर्ज कराने के लोकतांत्रिक तरीके होते हैं, लेकिन सदन की गरिमा बनाए रखना भी उतना ही आवश्यक है।

मुख्यमंत्री नीतीश कुमार पर राबड़ी देवी की टिप्पणी कि वे अपने पद की गरिमा भूल गए हैं, राजनीति में बढ़ती कटुता को दर्शाती है। राजनीतिक मतभेदों के बावजूद भाषा की मर्यादा बनाए रखना प्रत्येक नेता की जिम्मेदारी है। जब वरिष्ठ नेता ही संयम खो बैठते हैं, तो युवा नेताओं और कार्यकर्ताओं को गलत संदेश जाता है। लोकतंत्र केवल संख्या का खेल नहीं है, बल्कि आचरण और संवाद की संस्कृति भी है।

यह भी सच है कि चुनावी हार-जीत का असर सदन के व्यवहार पर पड़ता है। हार का गम और सत्ता का आत्मविश्वास, दोनों ही कभी-कभी संतुलन बिगाड़ देते हैं। लेकिन जनप्रतिनिधियों को यह नहीं भूलना चाहिए कि वे व्यक्तिगत लड़ाई नहीं लड़ रहे, बल्कि जनता की उम्मीदों का प्रतिनिधित्व कर रहे हैं। जिन लोगों ने उन्हें वोट देकर सदन तक पहुंचाया, वे उम्मीद करते हैं कि उनके मुद्दों पर गंभीर चर्चा होगी, न कि सड़कछाप भाषा का प्रदर्शन।

सदन में हुई घटना ने देशवासियों को यह सोचने पर मजबूर किया है कि क्या हमारे लोकतांत्रिक संस्थान अपनी गरिमा बचा पा रहे हैं। संसद और विधानसभाएं केवल राजनीतिक शक्ति प्रदर्शन के मंच नहीं हैं। वे नीति निर्माण और सामाजिक संवाद के केंद्र हैं। यदि यहां भी शोर, आरोप और अपमान ही सुनाई देंगे, तो जनता का विश्वास कमजोर होगा। समय आ गया है कि सभी दल आत्ममंथन करें। सत्ता पक्ष को चाहिए कि वह विपक्ष की आलोचना को सहनशीलता से ले और पारदर्शिता के साथ जवाब दे। विपक्ष को चाहिए कि वह विरोध दर्ज कराते समय भाषा और व्यवहार की मर्यादा का पालन करे। सभापति और स्पीकर की भूमिका भी महत्वपूर्ण है, जो निष्पक्षता से सदन को संचालित करें और अनुशासन सुनिश्चित करें। लोकतंत्र की खूबसूरती इसी में है कि यहां विचारों की लड़ाई होती है, व्यक्तियों की नहीं। असहमति लोकतंत्र को मजबूत करती है, लेकिन असभ्यता उसे कमजोर करती है। यदि हमारे जनप्रतिनिधि सदन में संयम और शालीनता का उदाहरण पेश करेंगे, तो लोकतंत्र की जड़ें और मजबूत होंगी। अन्यथा, लोकतंत्र का मंदिर धीरे-धीरे सियासत का अखाड़ा बनता चला जाएगा। जनता ने जिन्हें सम्मान देकर सदन तक भेजा है, उनसे यही अपेक्षा है कि वे अपनी भाषा और व्यवहार से उस सम्मान को बनाए रखें और लोकतंत्र की मर्यादा को सर्वोपरि मानें।

कांतिलाल मांडोत

व्यंग्य- सवाल घूसखोर शिरोमणि होने का

कॉम्पिटिशन हर क्षेत्र में है। मलाईदार पदों के लिए कॉम्पिटिशन के साथ साथ घूसखोर चरित्र का होना भी अनिवार्य योग्यता है। आज के दौर में बिना घूसखोरी के किसी भी पद पर टिके रहना सरल नहीं होता। ईमानदार अधिकारी को उसके सहायक कुर्सी पर अधिक समय तक बर्दाश्त नहीं करते, इसलिए उसके स्थानांतरण की फेहरिस्त लंबी होती रहती है। वैसे भी जीवन के किसी भी क्षेत्र में ऊंचा मुकाम हासिल करना हंसी खेल का विषय नहीं है। करोड़ों रूपये का माल हजम करने वाले तथा अल्प समय में साईकिल से वायुयान तक, झोपड़ी से ऊंची अट्टालिकाओं तक का सफर तय करने वाले घूसखोर की श्रेणी में नहीं आते। फिर भी घूसखोरी ऐसा रोग है, जो सरकारी क्षेत्र में ही फलता फूलता है। निजी क्षेत्रों में घूसखोरी को कमीशनखोरी की संज्ञा दी जाती है। बहरहाल घूसखोरी में भी घूसखोर शिरोमणि की पहचान जातीय आधार पर कर ली गई है, यह मैं नहीं कहता, किसी फिल्म का शीर्षक कहता है।

लोग उबल रहे हैं, कि उनकी बिरादरी को घूसखोरी का शिरोमणि क्यों बताया जा रहा है। असली घूसखोर इसलिए परेशान हैं, कि उनकी घूसखोरी को घूसखोर शिरोमणि क्यों नहीं चुना गया। मैंने जब से होश संभाला है, घूसखोरी को भारतीय चरित्र में शामिल पाया है। सरकारी अस्पताल हो या बिजली दफ्तर, यातायात विभाग हो या अन्य कोई भी सामान्य विभाग, जिसके पास किसी के बिल पास करने, सरकारी धन की बंदर बाँट करने का अधिकार हो, हर जगह कार्यप्रणाली लगभग समान है, फाइलें तब तक आगे नही सकती, जब तक कि सुविधा शुल्क के नाम पर उसमें घूस के पहिए न लग जाएँ।

यूँ तो भ्रष्टाचार मुक्त शासन के विज्ञापन पट कार्यालयों में चमक रहे होते हैं, लेकिन कार्यालयों में बैठे सरकारी उनकी परवाह नहीं करते। कुर्सी पर बैठते ही उनकी हथेली खुजलाने लगती है। जो फरियादी उनके पास अपनी फरियाद लेकर आता है, वह उसकी फरियाद सुने बिना ही अपनी हथेली की खुजलाहट से उसे अवगत करा देते हैं, साथ ही यह इशारा भी देते हैं, कि बिना बोहनी के वे अपने कार्यालय में दिन की शुरुआत नहीं करते। परेशान हाल फरियादी बोहनी कराता है, तब कहीं जाकर अपनी फरियाद सुनाने लायक बन पाता है।

समस्या एक हो तो बताई जाए, घूसखोरी का चलन इतना बढ़ गया है, कि यदि कोई बिना घूस लिए समस्या समाधान का आश्वासन दे, तो फरियादी उस पर यकीन नहीं करता। बहरहाल घूसखोरी के युग में ईमानदार वही कहलाता है, जिसे घूस लेने का अवसर न मिला हो। तिस पर भी घूसखोरों में आपस में कोई कॉम्पिटिशन नहीं होता। जो काम जिसकी सीट का होता है, घूस पर उसका ही अधिकार होता है। फिर भी बदनाम केवल खास जाति का कर्मचारी ही होता है। उसे सरकारी कार्यालय में कार्य करने वाले सभी अधिकारी और कर्मचारी घूसख़ोर में लिप्त तो प्रतीत होते हैं, किन्तु शिरोमणि नहीं। घूस शिरोमणि के विशेषण से वंचित रहने वालों के लिए यह दुःख का कारण है, वे इसे अपनी कमी मानते हैं।

आजकल घूसखोरी अधिकार का स्वरूप लेती जा रही है। सरकारी कार्यालयों में पर्याप्त घूस न मिलने पर फाइलें गायब होने के किस्से भी सुर्ख़ियों में रहते हैं। कुछ घूसख़ोर तो घूस लेकर गर्व से स्वयं को घूस शिरोमणि घोषित करते हैं। उनका स्पष्ट मत होता है, यदि घूसखोरी के आरोप में पकड़े भी गए, तो घूस देकर छूट जाएंगे। ऐसे में जहां घूसखोरी अखिल भारतीय स्तर पर नाम कमा रही है, वहां केवल किसी खास व्यक्ति या जाति को घूसखोर कहना देश में अन्य जातियों के घूसखोरों की योग्यता पर प्रश्न चिन्ह खड़े करता है। कॉम्पिटिशन का परिणाम गहन सर्वेक्षण और प्रतियोगिता को पारदर्शिता से संपन्न कराने के बाद ही होना चाहिए।

(सुधाकर आशावादी -विनायक फीचर्स)

राष्ट्र निर्माण की त्रयी : संस्कृति, राजनीति और कला

भारत के वर्तमान कालखंड में, जहाँ हम 'अमृत काल' की संकल्पना के साथ वैश्विक पटल पर अपनी सशक्त उपस्थिति दर्ज करा रहे हैं, कला, संस्कृति एवं राजनीति का अंतर्संबंध और भी अधिक गहन एवं विचारणीय हो गया है। ये तीनों तत्त्व किसी भी महान सभ्यता के वे आधार-स्तंभ हैं, जो परस्पर एक-दूसरे को शक्ति और अर्थ प्रदान करते हैं। आधुनिक भारत के इस संधिकाल में, जहाँ हम अपनी पुरातन विरासत को नवीन वैश्विक आकांक्षाओं के साथ एकाकार कर रहे हैं, इन तीनों की सीमाओं और उनके आदर्श सामंजस्य को समझना नितांत आवश्यक हो गया है।

संस्कृति किसी भी राष्ट्र की वह अंतर्धारा है, जो उसे काल के थपेड़ों के बीच भी स्थिर और जीवंत बनाए रखती है। वर्तमान परिवेश में संस्कृति का विस्तार और उसकी सीमाएं अत्यंत सूक्ष्म हो गई हैं। एक ओर हम अपनी जड़ों की ओर लौटने का प्रयास कर रहे हैं, जो कि एक सकारात्मक सांस्कृतिक पुनर्जागरण है, किंतु इसकी सीमा वहाँ रेखांकित होनी चाहिए जहाँ यह गर्व अहंकार या अन्य के प्रति वैमनस्य में परिवर्तित न हो जाए। आदर्श संस्कृति वह है जो 'स्व' को पहचानते हुए 'सर्व' को समाहित करने का सामर्थ्य रखती हो। भारत की सांस्कृतिक विरासत का संरक्षण और संवर्धन वर्तमान समय की सबसे बड़ी आवश्यकता है, क्योंकि यही वह धरातल है जिस पर राजनीति और कला की भव्य अट्टालिकाएं खड़ी होती हैं। संस्कृति जब राजनीति को संस्कारित करती है, तभी शासन 'लोकतंत्र' से 'रामराज्य' की संकल्पना की ओर अग्रसर होता है।

राजनीति, जिसे समाज की व्यवस्था का नियामक माना जाता है, वर्तमान भारत में एक अत्यंत प्रभावशाली और सक्रिय भूमिका में है। राजनीति का वास्तविक ध्येय 'नीति' के माध्यम से समाज का कल्याण करना है। किंतु, जब राजनीति स्वयं को साध्य और संस्कृति एवं कला को साधन मान लेती है, तब सीमाओं का उल्लंघन प्रारंभ होता है। आदर्श राजनीति वही है जो संस्कृति की सीमाओं का सम्मान करे और उसे अपनी सत्ता के प्रसार हेतु विकृत न करे। वर्तमान समय में राजनीति की एक बड़ी भूमिका सांस्कृतिक राष्ट्रवाद के पुनरुत्थान में देखी जा रही है। यह सुखद है कि राजनीति अब राष्ट्र की सांस्कृतिक अस्मिता को अपनी नीतियों के केंद्र में रख रही है, परंतु इसकी आदर्श मर्यादा यह है कि यह सांस्कृतिक विविधता का दमन न करे, बल्कि उसे एक सूत्र में पिरोने का कार्य करे। राजनीति की सफलता इस बात में है कि वह कितनी नीति-सम्मत और संवेदनशील है। उसे कला को संरक्षण देना चाहिए, न कि उसे अपनी विचारधारा का प्रचारक बनाना चाहिए। जब राजनीति सांस्कृतिक चेतना से अनुप्राणित होती है, तभी वह राष्ट्र के सर्वांगीण विकास का मार्ग प्रशस्त करती है।

कला इन तीनों में सबसे कोमल, किंतु सबसे अधिक प्रखर तत्व है। भारतीय मनीषा में कला केवल चाक्षुष आनंद का विषय नहीं, बल्कि 'ब्रह्मानंद सहोदर' है। कला की सीमा सत्य और सौंदर्य के सामंजस्य में निहित है। कला की सीमा वहीं से प्रारंभ होती है जहाँ सत्य, शिव और सुंदर का संगम होता है। वर्तमान भारत में कला के विभिन्न रूप - चाहे वह साहित्य हो, सिनेमा हो या ललित कलाएँ - समाज के मानस को निर्मित करने में महती भूमिका निभा रहे हैं। कलाकार की अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता अक्षुण्ण रहनी चाहिए, क्योंकि कला ही वह दर्पण है जिसमें राजनीति और समाज अपनी त्रुटियों को देख सकते हैं। किंतु, कला की स्वतंत्रता उच्छृंखलता का पर्याय नहीं होना चाहिए। कला की मर्यादा उसकी शुचिता और सामाजिक दायित्व में निहित है। यदि कला राष्ट्र की सांस्कृतिक जड़ों को अपमानित करती है या समाज में विघटन के बीज बोती है, तो वह सृजन न होकर विध्वंस बन जाती है। आदर्श कला वह है जो राजनीति के कोलाहल से ऊपर उठकर मानव की शाश्वत अनुभूतियों को स्वर दे। आज के दौर में कला को राजनीति के चंगुल से मुक्त रहकर एक स्वतंत्र प्रहरी की भांति कार्य करना चाहिए, जो संस्कृति के मूल्यों की रक्षा भी करे और समय आने पर सत्ता को नैतिकता का पाठ भी पढ़ाए।

निष्कर्षतः, कला, संस्कृति और राजनीति की सीमाएं परस्पर विरोधी नहीं, अपितु एक-दूसरे की पूरक हैं। राजनीति यदि समाज की देह है, तो संस्कृति उसका प्राण और कला उसका सौंदर्य। वर्तमान भारत के निर्माण में इन तीनों का संतुलित सहयोग अनिवार्य है। जब राजनीति मर्यादित होकर संस्कृति के मूल्यों का वहन करती है और कला निष्पक्ष होकर इन दोनों का विश्लेषण करती है, तभी एक स्वस्थ और समृद्ध राष्ट्र का अभ्युदय होता है। सीमाओं का यह बोध किसी बंधन का परिचायक नहीं, बल्कि उस अनुशासन का प्रमाण है जो महान सभ्यताओं को अमर बनाता है। हमें एक ऐसे भारत की परिकल्पना करनी चाहिए जहाँ सत्ता नीति से चले, संस्कृति उदारता से फले-फूले और कला सत्य की निरंतर खोज में लीन रहे। इसी त्रिवेणी के संगम से भारत पुनः अपनी विश्व-गुरु की प्रतिष्ठा को प्राप्त कर सकता है।

डॉ स्नेहलता श्रीवास्तव

जनरल नरवणे की अप्रकाशित आत्मकथा और दिल्ली पुलिस की जांच

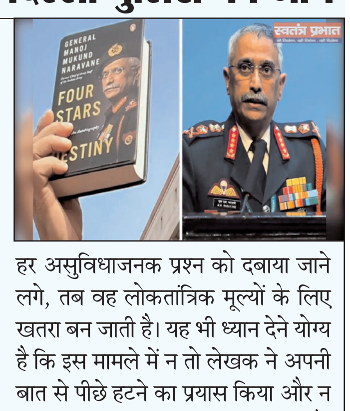

दिल्ली पुलिस की स्पेशल सेल ने पूर्व थलसेना प्रमुख जनरल मनोज मुकुंद नरवणे की अप्रकाशित आत्मकथा फोर स्टार्स ऑफ डेस्टिनी की पीडीएफ कॉपी के सोशल मीडिया और मैसेजिंग प्लेटफॉर्म्स पर प्रसार को लेकर औपचारिक जांच शुरू कर दी है। यह मामला किसी अपराध या घोटाले से जुड़ा नहीं, बल्कि एक ऐसी आत्मकथा से संबंधित है जो अभी औपचारिक रूप से प्रकाशित भी नहीं हुई और फिर भी व्यापक रूप से पढ़ी जा रही है। पूर्व थलसेना प्रमुख जनरल नरवणे द्वारा लिखी गई इस पुस्तक की डिजिटल प्रति अचानक विभिन्न संदेश माध्यमों और सामाजिक मंचों पर फैल गई। देखते ही देखते यह रचना केवल सैन्य इतिहास की किताब न रहकर राष्ट्रीय बहस का विषय बन गई। प्रश्न यह नहीं रह गया कि पुस्तक लीक कैसे हुई, बल्कि यह बन गया कि वह अब तक प्रकाशित क्यों नहीं हो सकी।

यह आत्मकथा चार दशकों से अधिक लंबे सैन्य जीवन का विवरण देती है। एक युवा अधिकारी के रूप में सीमावर्ती क्षेत्रों में तैनाती से लेकर देश की थलसेना के सर्वोच्च पद तक की यात्रा इसमें दर्ज है। इसमें पूर्वी सीमा पर हुए टकराव, पश्चिमी मोर्चे पर तनाव, पड़ोसी देशों के साथ संघर्षविराम, और एक भीषण वैश्विक महामारी के दौरान सेना की भूमिका जैसे प्रसंग शामिल हैं। ऐसे समय में जब देश का सैन्य इतिहास अक्सर आधिकारिक वक्तव्यों और संक्षिप्त प्रेस विज्ञप्तियों तक सीमित रह जाता है, यह पुस्तक घटनाओं के भीतर झांकने का अवसर देती है। शायद यही कारण है कि इसकी प्रतीक्षा लंबे समय से की जा रही थी।

प्रकाशन की प्रक्रिया सामान्य नहीं रही। पुस्तक के प्रकाशन की घोषणा पहले ही हो चुकी थी, अग्रिम आदेश भी लिए गए, परंतु अचानक सब कुछ रोक दिया गया। पाठकों को धन वापस कर दिया गया और कहा गया कि आवश्यक स्वीकृतियां लंबित हैं। पूर्व सैन्य अधिकारियों द्वारा लिखी जाने वाली स्मृतियों के लिए रक्षा मंत्रालय की पूर्व अनुमति आवश्यक होती है, यह कोई नई बात नहीं है। परंतु जब सूचना के अधिकार के अंतर्गत प्राप्त आंकड़ों से यह सामने आया कि उसी अवधि में दर्जनों अन्य पुस्तकों को अनुमति मिल चुकी है और केवल यही एक रचना अटकी हुई है, तो संदेह स्वाभाविक हो जाता है।

लेखक स्वयं कई अवसरों पर स्पष्ट कर चुके हैं कि उन्होंने अपना कार्य पूरा कर दिया था और उसे प्रकाशक को सौंप दिया था। अनुमति प्राप्त करना उनका दायित्व नहीं था। उन्होंने यह भी स्वीकार किया कि पुस्तक की सामग्री उनकी अपनी लिखी हुई है और उसमें किसी प्रकार की असत्य जानकारी नहीं है। यही नहीं, पुस्तक के मसौदे को पहले ही कई वरिष्ठ रक्षा विशेषज्ञों और पूर्व अधिकारियों ने पढ़ा था और उसकी सराहना भी की थी। इन प्रतिक्रियाओं से यह संकेत मिलता है कि सामग्री न तो मनगढ़ंत है और न ही हल्की।

इसके बावजूद पुस्तक पर चुप्पी बनी रही। इस बीच कुछ समाचार माध्यमों ने इसके अंशों के आधार पर लेख प्रकाशित किए। उन लेखों में सीमा पर हुए संकटों के दौरान लिए गए राजनीतिक और सैन्य निर्णयों का उल्लेख था। संसद में जब इन संदर्भों का उपयोग करने की कोशिश की गई तो भारी हंगामा हुआ और चर्चा रोक दी गई। इसके तुरंत बाद वही डिजिटल प्रति, जिसे अब तक केवल सीमित लोगों ने देखा था, व्यापक रूप से फैलने लगी। यह एक अजीब स्थिति थी, जिसमें एक पुस्तक आधिकारिक रूप से अस्तित्वहीन मानी जा रही थी, परंतु वास्तविकता में हजारों पाठकों तक पहुंच चुकी थी।

अब जांच का केंद्र यह है कि इस अनधिकृत प्रसार के लिए कौन जिम्मेदार है। कानून की दृष्टि से यह कॉपीराइट का उल्लंघन हो सकता है, क्योंकि अप्रकाशित सामग्री को बिना अनुमति साझा किया गया। यदि यह माना जाए कि पुस्तक में संवेदनशील सैन्य जानकारियां हैं, तो उस पर गोपनीयता से जुड़े कानून भी लागू हो सकते हैं। परंतु यहां एक गहरा प्रश्न छिपा है। क्या जांच का उद्देश्य वास्तव में कानून का पालन कराना है या फिर उन तथ्यों को नियंत्रित करना है जो असुविधाजनक साबित हो सकते हैं।

इस आत्मकथा में जिन घटनाओं का उल्लेख है, वे हाल के वर्षों की सबसे संवेदनशील राष्ट्रीय घटनाओं में से हैं। सीमावर्ती क्षेत्र में हुई झड़पों में देश ने अपने जवान खोए, परंतु उन घटनाओं के बारे में आधिकारिक विवरण सीमित रहा। सरकार की ओर से एक विशेष प्रकार का आख्यान प्रस्तुत किया गया, जिसमें दृढ़ता और सफलता पर जोर था। यदि किसी पूर्व थलसेना प्रमुख की पुस्तक उस आख्यान से अलग तस्वीर पेश करती है, तो स्वाभाविक है कि वह राजनीतिक रूप से असहज कर सकती है। परंतु क्या असहजता ही किसी रचना को रोकने का पर्याप्त कारण हो सकती है।

लोकतंत्र में अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता का अर्थ केवल सामान्य नागरिकों तक सीमित नहीं है। जिन लोगों ने राज्य की सर्वोच्च जिम्मेदारियां निभाई हैं, उनका अनुभव और दृष्टिकोण भी सार्वजनिक विमर्श का हिस्सा होना चाहिए। निश्चित रूप से राष्ट्रीय सुरक्षा एक गंभीर विषय है और किसी भी प्रकार की जानकारी का प्रकाशन सावधानी से होना चाहिए। परंतु सुरक्षा और सेंसरशिप के बीच की रेखा बहुत महीन होती है। जब सुरक्षा के नाम पर हर असुविधाजनक प्रश्न को दबाया जाने लगे, तब वह लोकतांत्रिक मूल्यों के लिए खतरा बन जाती है। यह भी ध्यान देने योग्य है कि इस मामले में न तो लेखक ने अपनी बात से पीछे हटने का प्रयास किया और न ही प्रकाशक ने यह कहा कि सामग्री गलत है। प्रकाशक ने केवल इतना कहा कि पुस्तक अभी सार्वजनिक नहीं है। इसका अर्थ यह हुआ कि समस्या सामग्री में नहीं, बल्कि उसके सार्वजनिक होने में है। यही विरोधाभास इस पूरे विवाद को और गहरा बनाता है।

डिजिटल युग में किसी रचना को पूरी तरह रोक पाना लगभग असंभव है। एक बार यदि वह किसी रूप में बाहर आ गई, तो उसे नियंत्रित करना कठिन हो जाता है। इस घटना ने यह भी दिखा दिया कि प्रतिबंध और देरी कभी-कभी विपरीत प्रभाव डालते हैं। जिस पुस्तक को कुछ कार्यालयी फाइलों में दबाकर रखा गया था, वह अब कहीं अधिक लोगों तक पहुंच चुकी है, वह भी बिना किसी आधिकारिक संदर्भ और विमर्श के। इससे गलत व्याख्याओं और अफवाहों की संभावना भी बढ़ जाती है।

अंततः यह प्रश्न बना रहता है कि समाधान क्या है। क्या बेहतर यह नहीं होता कि पुस्तक को आवश्यक संपादन और स्पष्ट चेतावनियों के साथ प्रकाशित होने दिया जाता, ताकि पाठक उसे पूरे संदर्भ में समझ सकें। जांच और प्रतिबंध के रास्ते ने न केवल लेखक और प्रकाशक को असमंजस में डाला है, बल्कि पाठकों को भी अधूरी और असंतुलित जानकारी के भरोसे छोड़ दिया है।

यह प्रकरण केवल एक आत्मकथा का नहीं है। यह उस बड़े संघर्ष का प्रतीक है, जिसमें राज्य की शक्ति और नागरिक समाज की जिज्ञासा आमने-सामने खड़ी होती हैं। इतिहास बताता है कि सत्य को लंबे समय तक दबाया नहीं जा सकता। वह कभी दस्तावेज के रूप में, कभी स्मृति के रूप में और कभी डिजिटल प्रति के रूप में सामने आ ही जाता है। प्रश्न केवल यह है कि क्या हम उसे खुली बहस और परिपक्व संवाद के साथ स्वीकार करेंगे या डर और नियंत्रण के माध्यम से उसे और रहस्यमय बना देंगे। जनरल नरवणे की आत्मकथा आज भले ही औपचारिक रूप से प्रकाशित न हो, परंतु उसने यह स्पष्ट कर दिया है कि कहानियां केवल अनुमति से नहीं, आवश्यकता से जीवित रहती हैं।

महेन्द्र तिवारी

स्वामी- स्वतंत्र प्रभात मीडिया, मुद्रक एवं प्रकाशक प्रीती शुक्ला द्वारा सुशीला स्टेडी बेल एकेडमी 117-मोहल्ला बिजय लक्ष्मी नगर परगना सौराचाद तहसील व जनपद सीतापुर से प्रकाशित तथा महावीर आफसेट 28, होनेट रोड लखनऊ से मुद्रित। सम्पादक रवि कुमार अवस्थी समाचार पत्र में तमे समस्त समाचार संवाददाताओं के अपने श्रोत एवं संकलन हैं, जिनसे सम्पादक का सहमत होना आवश्यक नहीं है। **नोट:** उपरोक्त सभी पद अवैतनिक एवं स्वयंसेवी हैं तथा समाचार पत्र से सम्बंधित सारे विवादों का न्याय क्षेत्र सीतापुर होगा। R.NI NO. UPHIN/2012/43078 मो0 नं0-9511151254, E-Mail: news@swatantraprabhat.com

संक्षिप्त खबरें

पूर्व प्राचार्य व साहित्यकार डॉ. ओपी अवस्थी को दी गई भावभीनी श्रद्धांजलि

लालगंज (रायबरेली)। कस्बे के बैसवारा डिग्री कॉलेज छात्रावास में बुधवार को प्रख्यात साहित्यकार व पूर्व प्राचार्य डॉ. ओपी अवस्थी को श्रद्धांजलि अर्पित की गई। शोक सभा में शिक्षाविदों, साहित्यकारों और सामाजिक कार्यकर्ताओं ने उनके योगदान को याद किया। बैसवारा साहित्यिक एवं सामाजिक संस्था के तत्वावधान में आयोजित कार्यक्रम की अध्यक्षता बैजनाथ विश्वकर्मा ने की। वक्ताओं ने कहा कि डॉ. अवस्थी का जन्म भले ही फतेहपुर में हुआ हो, लेकिन उनकी आत्मा बैसवारा की माटी में बसती थी। अनूप पांडे ने कहा कि अपनों का जाना हमेशा पीड़ा देता है। हरिनाम सिंह ने कहा कि उनका कद भले छोटा था, लेकिन साहित्य में उनका योगदान विराट था। उन्होंने बताया कि नवगीतकार डॉ. शिव बहादुर सिंह भदौरिया के अभिनंदन ग्रंथ राघव रंग का नामकरण डॉ. अवस्थी ने ही किया था। डॉ. एमडी सिंह ने कहा कि डॉ. अवस्थी बेहद अनुशासनप्रिय थे और अंतरवेद साहित्य के प्रखर साहित्यकार रहे। डॉ. विनय भदौरिया ने बताया कि वे काव्यालोक संस्था के अध्यक्ष रहे और संयोजन कला में निपुण थे। वे काव्य के सच्चे साधक थे। मानवाधिकार फाउंडेशन के अजय सिंह ने उनके निधन को अपूर्णीय क्षति बताया। कार्यक्रम का संचालन अवनेंद्र बहादुर सिंह ने किया। इस अवसर पर विश्व शंकर पांडे, जय बहादुर, उमेश श्रीवास्तव, वीरेंद्र शुक्ला, पवन सिंह, निरंजन राय, आशीष प्रताप सिंह, रामगुलाम सविता, डॉ. संजीव मिश्रा सहित अनेक साहित्यकार मौजूद रहे।

परिवारिक बंटवारे में महिला से मारपीट, चार पर मुकदमा दर्ज

लालगंज (रायबरेली)। कोतवाली क्षेत्र के ढकवा का पुरवा गांव में बुधवार को बंटवारे के विवाद को लेकर चार लोगों ने एक महिला के साथ मारपीट की। घटना के बाद पीड़िता ने पुलिस से शिकायत की। पीड़िता के मुताबिक पारिवारिक बंटवारे को लेकर छोटेलाल, राजदेई, रूबी और जगदीश ने गाली गलौज शुरू कर दी। विरोध करने पर चारों ने लात-घूंसे और डंडों से उसकी पिटाई कर दी। आरोप है कि आरोपियों ने उसे छत से धक्का देने की भी कोशिश की। घटना में महिला को चोटें आई हैं। उसे इलाज के लिए सीएचसी भेजा गया। पुलिस ने पीड़िता की तहरीर पर चारों आरोपियों के खिलाफ मामला दर्ज कर लिया है। प्रभारी निरीक्षक प्रमोद कुमार सिंह ने बताया कि मामले में मुकदमा दर्ज कर आगे की कार्रवाई की जा रही है।

स्कूल के बच्चों ने किया उद्यान भ्रमण

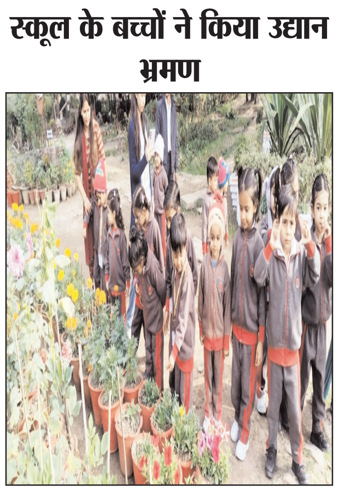

ललितपुर। नगर स्थित स्कूल के नन्हे-मुन्ने विद्यार्थियों ने शैक्षिक गतिविधि के अंतर्गत स्थानीय चंद्रशेखर आजाद उद्यान का शैक्षिक भ्रमण किया। इस का मुख्य उद्देश्य बच्चों को प्रकृति से जोड़ना, पर्यावरण के प्रति जागरूक करना तथा उन्हें प्रत्यक्ष अनुभव के माध्यम से सीखने का अवसर प्रदान करना था। इस दौरान बच्चों ने विभिन्न प्रकार के पेड़-पौधों, फूलों, तितलियों और पक्षियों को करीब से देखा और उनके बारे में जानकारी प्राप्त की। शिक्षिकाओं ने बच्चों को पौधों के महत्व, स्वच्छ पर्यावरण और हरियाली के लाभों के बारे में सरल एवं रोचक तरीके से समझाया। बच्चों ने झूले, फिसलपट्टी एवं अन्य खेल गतिविधियों का आनंद भी लिया। कार्यक्रम में उद्यान अधिकारी रंजीत यादव का विशेष सहयोग मिला। उद्यानकी में चल रहे कार्यक्रमों की जानकारी दी और बच्चों को उद्यान को स्वस्थ बनाए रखने का संकल्प दिलाया। प्रबंधक स्वप्निल बरया ने बताया कि इस प्रकार की गतिविधियां बच्चों के सर्वांगीण विकास में सहायक होती हैं। इस दौरान शिक्षिकाओं अंकिता पुरोहित, स्वेच्छा जैन, सोनाली खरे, निहारिका लखेरा, अंशिका जैन, ऋषिका चौधरी, कनिष्का तिवारी एवं नैंसी सोनी ने बच्चों की सुरक्षा का विशेष ध्यान रखा। इस सफल आयोजन के लिए अभिभावकों ने विद्यालय प्रबंधन की सराहना की और बच्चों के लिए ऐसे व्यावहारिक अनुभवों को अत्यंत उपयोगी बताया।

उत्तर प्रदेश शासन डा0 एम0 के0 सन्मुगा सुंदरम के निर्देश पर गठित संयुक्त जांच टीम ने मिल का किया औचक निरीक्षण मचा हड़कंप

स्वतंत्र प्रभात संवाददाता

संदना सीतापुर उत्तर प्रदेश सरकार द्वारा मजदूरों के शोषण पर सख्ती के दावों के बीच डालमिया चीनी मिल, रामगढ़ में श्रम कानूनों के पालन को लेकर गंभीर सवाल खड़े हो गए हैं। 10 फरवरी 2026 को प्रमुख सचिव, श्रम विभाग, उत्तर प्रदेश शासन डॉ. एम. के. सन्मुगा सुंदरम के निर्देश पर गठित संयुक्त जांच टीम ने मिल का औचक निरीक्षण किया, जिससे मिल प्रशासन में हड़कंप मच गया। जांच टीम में शरद, श्रम प्रवर्तन अधिकारी लखनऊ, संतोष कुमार, श्रम प्रवर्तन अधिकारी लखनऊ तथा हिमानी भारद्वाज, श्रम प्रवर्तन अधिकारी सीतापुर शामिल रहीं। लेकिन जांच से पहले ही मिल प्रशासन की कार्यशैली सवालों के घेरे में आ गई।

सूत्रों के अनुसार जैसे ही मिल प्रबंधन को निरीक्षण की भनक लगी, ठेके पर कार्यरत मजदूरों को आनन-फानन में मिल परिसर से बाहर कर दिया गया, ताकि किसी प्रकार की अनियमितता उजागर न हो सके। हैरत की बात यह रही कि जांच टीम के लौटते ही सभी मजदूरों को दोबारा काम पर लगा दिया गया। यह निरीक्षण फतेह बहादुर सिंह, अध्यक्ष–राष्ट्रीय जनाधिकार परिषद द्वारा मजदूरों के शोषण को लेकर की गई शिकायत के आधार पर किया गया था। निरीक्षण के दौरान संयुक्त टीम ने मजदूरों की कार्य परिस्थितियां, मजदूरी भुगतान, सुरक्षा इंतजाम और श्रम कानूनों के अनुपालन की गहन समीक्षा की। अधिकारियों ने मजदूरों से सीधे संवाद कर उनकी समस्याएं सुनीं और मिल प्रबंधन को श्रम कानूनों का कड़ाई से पालन करने के निर्देश दिए। इस कार्रवाई से मजदूरों में न्याय की उम्मीद जगी है, वहीं यह सवाल भी उठ रहा है की

अगर सब कुछ ठीक था, तो मजदूरों को निरीक्षण से पहले बाहर क्यों निकाला गया?

क्या ठेका मजदूरों को छुपाना स्वयं में अनियमितता का प्रमाण नहीं है?

स्थानीय लोगों और श्रमिक संगठनों ने इस निरीक्षण को सराहनीय कदम बताते हुए शासन और शिकायतकर्ता का आभार जताया है। साथ ही उम्मीद जताई जा रही है कि जांच रिपोर्ट के आधार पर दोषियों पर ठोस कार्रवाई होगी, ताकि भविष्य में मजदूरों के शोषण पर प्रभावी रोक लग सके। इस संबंध में श्रम प्रवर्तन अधिकारी सीतापुर हिमानी भारद्वाज ने बताया कि शिकायत के आधार पर निरीक्षण किया गया है तथा निरीक्षण की विस्तृत रिपोर्ट उच्च अधिकारियों को भेज दी गई है। आगे की कार्रवाई शासन स्तर से तय की जाएगी।

बकरी चराने गए बुजुर्ग पर जंगली जानवर का हमला, गंभीर रूप से घायल

लालगंज (रायबरेली)। कोतवाली क्षेत्र के झाबर हरदो पट्टी गांव में बुधवार शाम सियार के हमले में एक पशुपालक गंभीर रूप से घायल हो गया। घटना से गांव में दहशत फैल गई। गांव निवासी बड़कू (60) पुत्र दुलारे खेतों के पास जंगल में बकरी चरा रहे थे। इसी दौरान पीछे से आए सियार ने अचानक उन पर हमला कर दिया।

सियार ने उन्हें कई जगह काट लिया और नोच डाला। बुजुर्ग के शोर मचाने पर गांव के कुत्तों ने सियार को दौड़ा लिया। इसके बाद उनकी जान बच सकी। हमले में उनके शरीर पर कई गहरे जख्म आए हैं।परिवारीजन उन्हें उपचार के लिए सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र लेकर पहुंचे। जहां उनका प्राथमिक उपचार किया गया। परिजनों का कहना है कि सियार इससे पहले भी गांव में कई लोगों को दौड़ा चुका है। लगातार हो रहे हमलों से ग्रामीणों में भय का माहौल बना हुआ है।

संदिग्ध हालात में युवक की मौत, घर के कमरे में फांसी पर लटका मिला शव

● परिजनों ने हत्या का लगाया आरोप

स्वतंत्र प्रभात संवाददाता

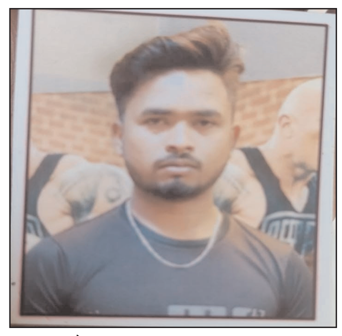

लालगंज (रायबरेली)। कोतवाली क्षेत्र के पूरे प्राण सिंह मजरे ऐहार गांव में मंगलवार रात एक युवक का शव संदिग्ध परिस्थितियों में घर के भीतर कमरे में फांसी के फंदे से लटका मिला। घटना की जानकारी होते ही गांव में सनसनी फैल गई। सूचना पर पहुंची पुलिस ने पंचायतनामा कर शव को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया। मृतक के पिता श्यामलाल ने पुलिस को दी तहरीर में बताया कि उनका बेटा संजय (22) मंगलवार शाम करीब सात बजे कमरे में लेटा हुआ था। रात करीब साढ़े आठ बजे जब वह कमरे में पहुंचे तो संजय पंखे के हुक से रस्सी के सहारे लटका मिला।

परिजनों ने आनन-फानन में फंदा काटकर उसे नीचे उतारा, लेकिन तब तक उसकी मौत हो चुकी थी। श्यामलाल ने गांव की ही एक युवती और उसके परिजनों पर गंभीर आरोप लगाए हैं। उनका कहना है कि युवती जबरन उनके बेटे के पास आती थी और विरोध करने पर विवाद होता था। इसी विवाद के चलते बेटे की मौत हुई है। मृतक के पिता ने तहरीर में युवती समेत चार लोगों को नामजद किया है। प्रभारी निरीक्षक प्रमोद कुमार सिंह ने बताया कि शव को पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया गया है। रिपोर्ट आने के बाद ही मौत के सही कारणों की जानकारी हो सकेगी।

रायबरेली में चोरों के हौसले बुलंद, पुलिस पर उठे सवाल

स्वतंत्र प्रभात संवाददाता

महराजगंज रायबरेली। महराजगंज कोतवाली क्षेत्र में लगातार बढ़ रही चोरी की घटनाओं ने आमजन में दहशत का माहौल पैदा कर दिया है। ताजा मामला कस्बा महराजगंज कोतवाली क्षेत्र के हैदरगढ़ रोड स्थित साहू इंटरप्राइजेज का है, जहां बीती रात चोरों ने बेखौफ होकर वारदात को अंजाम दिया।

जानकारी के अनुसार, चोर चोरी की नीयत से किराना स्टोर पर पहुंचे, लेकिन दुकान का शटर बंद मिला। इसके बाद भी उनके हौसले पस्त नहीं हुए और उन्होंने दुकान के बाहर खड़े ई-रिक्शा को निशाना बना लिया। चोर ई-रिक्शा की दो बैटरियां खोलकर चोरी कर ले गए।

बताया जा रहा है कि चोरों की आहट सुनकर परिजन जाग गए और शोर मचाया। शोर सुनते ही चोर मौके से फरार हो गए। पूरी घटना दुकान के बाहर लगे CCTV कैमरे में कैद हो गई है। वीडियो में साफ देखा जा सकता है कि दो चोर बिना किसी डर के वारदात को अंजाम दे रहे हैं।

पीड़ित दुकानदार ने मामले की शिकायत पुलिस से की है। वहीं पुलिस CCTV फुटेज के आधार पर जांच पड़ताल में जुटी होने का दावा कर रही है।

लगातार हो रही चोरी की घटनाओं को लेकर स्थानीय लोगों में आक्रोश है। लोगों का कहना है कि क्षेत्र में पुलिस गश्त न के बराबर है, जिसके चलते चोरों के हौसले बुलंद हैं। अब देखना यह होगा कि पुलिस आरोपियों को कब तक गिरफ्तार कर पाती है और क्षेत्र में बढ़ रही चोरी की घटनाओं पर कब तक अंकुश लग पाता है।

लोकल ट्रक भाड़े तय करने हेतु ट्रक ऑपरेटर यूनियन की बैठक संपन्न

ललितपुर। ट्रक ऑपरेटर यूनियन की बैठक गल्ला मंडी में आयोजित की गई। बैठक की अध्यक्षता शिखरचंद जैन ने व संचालन आनंद मोहन दुबे ने किया। बैठक में तय किया गया कि हाल्टिंग चार्ज प्रत्येक दशा में लिया जाएगा। ताकि ट्रक ऑपरेटर को नुकसान न हो। बैठक में ट्रक संचालकों ने वर्तमान ट्रक भाड़े को लेकर चिंता जाहिर की। सर्वसम्मति से विभिन्न स्थानों के लिए ट्रकों के भाड़े तय किए गए, यह सूची गल्ला व्यापारियों को दिए जाने का निर्णय लिया गया। इस दौरान मनमोहन चौबे, अनिल कुमार, गजेंद्र सिंह, इरफान अली, अफसर, मोहसिन, अब्दुल हसन, विन्द्रावन, धर्मेंद्र कुशवाहा, दीपचंद, जयपाल आदि भारी संख्या में ट्रक ऑपरेटर मौजूद रहे।

डीएम ने दो अधिकारियों को थमाया नोटिस विद्यालय- आंगनबाड़ी निरीक्षण में लापरवाही पर मांगा जवाब, गंदगी पर जताई नाराज़गी

स्वतंत्र प्रभात संवाददाता

सीतापुर जनपद सीतापुर में डीएम राजागणपति आर ने कसमण्डा ब्लॉक स्थित उच्च प्राथमिक विद्यालय ऊंचाखेरा कला (कम्पोजिट) एवं वहां संचालित आंगनबाड़ी केंद्र में औचक निरीक्षण कर स्वास्थ्य और शिक्षा व्यवस्थाओं की हकीकत परखी। निरीक्षण के दौरान गंभीर खामियां सामने आने पर जिलाधिकारी ने संबंधित कर्मचारियों और प्रधानाचार्य के खिलाफ सख्त कार्रवाई के निर्देश दिए, जिससे विभागों में हड़कंप मच गया। निरीक्षण के दौरान जिलाधिकारी ने आंगनबाड़ी केंद्र में आयोजित वीएचएसएनडी सत्र का जायजा लिया।

उन्होंने मौके पर मौजूद महिलाओं से संवाद कर उनकी वैक्सीनेशन पुस्तिकाओं का अवलोकन किया। साथ ही वैक्सीनेशन रजिस्टर की गहन जांच की गई, जिसमें कई कमियां पाई गईं। लापरवाही को गंभीरता से लेते हुए जिलाधिकारी ने संबंधित एएनएम चित्रांशी श्रीवास्तव के खिलाफ प्रतिकूल प्रविष्टि जारी करने के निर्देश दिए। जिलाधिकारी ने स्पष्ट कहा कि शासन की मंशा के अनुरूप माताओं और बच्चों को समयबद्ध एवं गुणवत्तापूर्ण स्वास्थ्य सेवाएं उपलब्ध कराना अधिकारियों की जिम्मेदारी है, इसमें किसी भी प्रकार की लापरवाही बर्दाश्त नहीं की जाएगी।

इसके पश्चात जिलाधिकारी ने उच्च प्राथमिक विद्यालय ऊंचाखेरा कला का निरीक्षण किया। निरीक्षण के दौरान उपस्थिति रजिस्टर की जांच में बच्चों की उपस्थिति अपेक्षाकृत कम पाई गई विद्यालय परिसर में गंदगी और अन्य व्यवस्थागत खामियां मिलने पर जिलाधिकारी ने गहरी नाराजगी जताई। लापरवाही के लिए विद्यालय के प्रधानाचार्य के खिलाफ प्रतिकूल प्रविष्टि जारी करने के निर्देश संबंधित अधिकारियों को दिए गए जिलाधिकारी ने विद्यालय की रसोई का भी निरीक्षण किया, जहां मिड-डे-मील योजना के अंतर्गत बच्चों को दिए जाने वाले भोजन की सामग्री की गुणवत्ता को परखा। उन्होंने निर्देश दिए कि भोजन की गुणवत्ता, स्वच्छता और पोषण स्तर से किसी भी प्रकार का समझौता न किया जाए। निरीक्षण के दौरान जिलाधिकारी ने अधिकारियों को चेतावनी देते हुए कहा कि शिक्षा और स्वास्थ्य जैसी मूलभूत सेवाओं में लापरवाही सामने आने पर जिम्मेदारों के विरुद्ध सख्त कार्रवाई जारी रहेगी!!

सपा नेत्री व समाजसेवी रेनू यादव ने बिसवां विधानसभा क्षेत्र में किया जन-संपर्क

● सपा के वरिष्ठ नेताओं कार्यकर्ताओं का शाल भेंट कर किया सम्मानित।

स्वतंत्र प्रभात संवाददाता

बिसवां/सीतापुर मानपुर सपा नेत्री रेनू यादव ने आज बिसवां विधानसभा क्षेत्र में करीब एक दर्जन से अधिक गांवो में जाकर लोगों से जनसंपर्क किया तथा उनकी जन समस्याओं से भी रूबरू हुई बताते चलें कि रेनू यादव सबसे पहले ग्राम बखरियां में सपा के सेक्टर प्रभारी आरिफ खान के आवास पर समाजवादी पार्टी के विधानसभा अध्यक्ष सुनील यादव व अजय यादव के साथ पहुंची और वंहा पर मौजूद बरिष्ठ पत्रकार बृजलाल सिंह यादव तथा सपा के मानपुर सेक्टर प्रभारी आरिफ खान का शाल भेंट कर स्वागत किया बाद में सपा के मानपुर सेक्टर पर्यवेक्षक वरुण यादव, से संपर्क कर ग्राम सलेमपुर में बरिस्ठ सपा नेता डाक्टर सुंदर लाल यादव, को शाल भेंट कर सम्मान किया उसके उपरांत ग्राम बढही पुर में पूर्व प्रधान हरेश यादव, तथा उसी गांव के कुछ दिन पहले सुनील यादव की आकस्मिक मृत्यु होने से दुखी परिवार के बीच उनकी पत्नी और छोटे-छोटे बच्चों के बीच पंहुच कर उन्हें ढांढस बंधाया और उन्हें कुछ आर्थिक सहायता भी प्रदान की ग्राम पंचायत तेंदुवा के ग्राम चंपापुर में पहुंचकर भागवत कथा में भाग लिया तथा मौके पर सपा नेता महेश प्रसाद यादव अशोक यादव चम्पापुर पूर्व प्रधान किशोरी लाल मौर्य शिवकुमार मौर्य तथा वहां पर मौजूद काफी लोगों से मुलाकात की इसके बाद सपा के वरिष्ठ नेता व सपा जिला अध्यक्ष कयूम कुरेशी और संतसरन यादव से मुलाकात की बाद में रेनू यादव ने बताया कि यदि मुझे बिसवां से 2027 में समाजवादी पार्टी की तरफ से विधानसभा का उम्मीदवार बनाया गया और जनता ने मुझे जीत का मौका दिया तो मैं विधानसभा क्षेत्र का चहुंमुखी विकास करूंगी। तथा पार्टी में सभी मेहनत करने वाले नेताओं और कार्यकर्ताओं और क्षेत्रीय जनता का हमेशा सम्मान करूंगी।

बुजुर्ग व्यक्ति की आग में जलकर मौके पर हुई मौत इलाके में मचा हड़कंप, गैस सिलेंडर के रिसाव से घर में लगी आग

स्वतंत्र प्रभात संवाददाता

सीतापुर जनपद सीतापुर के लहरपुर कोतवाली क्षेत्र के ग्राम भवानीपुर में मंगलवार देर रात दर्दनाक हादसा हो गया। घर में रखे छोटे गैस सिलेंडर से हुए गैस रिसाव के चलते अचानक आग लग गई, जिसमें एक बुजुर्ग व्यक्ति की जलकर मौके पर ही मौत हो गई। घटना के बाद इलाके में हड़कंप मच गया दमकल विभाग ने कड़ी मशक्कत के बाद आग पर काबू पाया। जानकारी के अनुसार भवानीपुर गांव निवासी रामनाथ पासी पुत्र स्वर्गीय ठाकुर प्रसाद (उम्र करीब 51 वर्ष) मजदूरी कर जीवन यापन करता था और घर में अकेला रहता था। मंगलवार रात वह खाना बनाने के बाद सभी चीजें बंद कर बिस्तर पर लेटा हुआ था। इसी दौरान 5 लीटर के छोटे गैस सिलेंडर से अचानक गैस रिसाव हुआ और अचानक आग लगते ही पूरे कमरे में आग फैल गई। आग लगने की सूचना मिलते ही कोतवाली लहरपुर के प्रभारी निरीक्षक अरविंद सिंह पुलिस टीम के साथ मौके पर पहुंचे और तत्काल दमकल विभाग को सूचना दी। दमकल कर्मियों ने मौके पर पहुंचकर कड़ी मशक्कत के बाद आग पर काबू पाया, लेकिन तब तक रामनाथ पासी आग की चपेट में आकर गंभीर रूप से झुलस चुका था और उसकी मौके पर ही मौत हो गई घटना के बाद फायर सर्विस और फील्ड यूनिट ने मौके पर पहुंचकर आवश्यक विधिक कार्रवाई शुरू की। पुलिस ने घटनास्थल का निरीक्षण कर साक्ष्य जुटाए और शव को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए जिला अस्पताल भेज दिया है। पुलिस के अनुसार प्रथम दृष्टया यह हादसा गैस सिलेंडर से हुए रिसाव के कारण हुआ प्रतीत होता है। उनके अकेले रहने के कारण समय पर किसी को घटना की जानकारी नहीं हो सकी, जिससे उसे बचाया नहीं जा सका। फिलहाल पुलिस मामले की जांच कर रही है। पोस्टमार्टम रिपोर्ट आने के बाद ही मौत के सही कारणों की पुष्टि हो सकेगी!!

एक दूसरे के सहयोग से हम कार्यों को अच्छे ढंग से कर सकते है:- आशुतोष कुमार सिंह ए0 आर0 पी0

स्वतंत्र प्रभात संवाददाता

खैराबाद सीतापुर ब्लॉक खैराबाद के संकुल धरैंचा के कंपोजिट विद्यालय नेवादा देवमन में आज सहयोगात्मक पर्यवेक्षण करने गणित विषय के एकेडमिक रिसोर्स पर्सन आशुतोष कुमार सिंह पहुंचे उन्होंने विद्यालय का पर्यवेक्षण करके आवश्यक जानकारी प्रधानाध्यापक काजिम हुसैन से प्राप्त की तत्पश्चात कक्षा 3 के बच्चों का शैक्षणिक आंकलन भी किया जिसमें सामान्य ज्ञान का अध्ययन करा रहीं सहायक अध्यापिका हुदा अमरीन से विज्ञान और गणित विषय की जानकारी साझा की और कक्षा के पांच बच्चों का शैक्षणिक आंकलन अपने मोबाइल ऐप द्वारा किया। जिसमें सभी बच्चों ने सफलता प्राप्त की, इसके उपरांत कक्षा सात और कक्षा आठ के बच्चों को विज्ञान और गणित विषय से संबंधित अच्छी जानकारी प्रदान करते हुए गणित में लघुत्तम और महत्तम समापवर्तक और भिन्न के बारे में तथा विज्ञान में पदार्थ और वस्तु के बारे में विस्तार से अच्छी जानकारी प्रदान की बच्चों में सीखने की उत्सुकता को देखकर बहुत तारीफ़ की और विषय अध्यापिका आरफा खातून की सराहना भी की, पुस्तकालय तथा खेलकूद आदि के सम्बन्ध में भी बच्चों से जानकारी साझा की, अंत में प्रधानाध्यापक/ वरिष्ठ उपाध्यक्ष जूनियर हाईस्कूल शिक्षक संघ खैराबाद काजिम हुसैन ने ए आर पी आशुतोष कुमार सिंह की सराहना करते हुए उनके उज्ज्वल भविष्य की कामना की तथा इस बात से भी पूर्णतया आश्वस्त कराया कि हम सभी का पूर्ण सहयोग सभी ए आर पी को हमेशा रहा है और रहेगा परंतु यह सपोर्टिव सुपरविजन पूर्ण तया एकेडमिक रहे एडीशनल नहीं होना चाहिए। इस अवसर पर सहायक अध्यापिका शशी शुक्ला,आरफा खातून,हुदा अमरीन, तथा समस्त रसोइया आदि उपस्थित थीं जबकि सहायक अध्यापक अवधेश कुमार चिकित्सीय तथा शिक्षा मित्र गायत्री मिश्र आकस्मिक अवकाश पर थी।

ऐतिहासिक बजट 2026-27 उत्तर प्रदेश को आत्मनिर्भरता की ओर ले जाने वाला: उदय प्रताप सिंह

स्वतंत्र प्रभात संवाददाता

फ़िरोज़ाबाद/टूण्डला- देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के मार्गदर्शन एवं उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के कुशल नेतृत्व में वित्त एवं संसदीय कार्य मंत्री सुरेश खन्ना द्वारा उत्तर प्रदेश विधान सभा में वित्तीय वर्ष 2026-27 का बजट प्रस्तुत किया गया। 9 लाख 12 हजार करोड़ रुपये से अधिक का यह बजट प्रदेश के विकास को नई दिशा देने वाला ऐतिहासिक बजट बताया जा रहा है। भाजपा जिलाध्यक्ष फिरोजाबाद उदय प्रताप सिंह ने बजट का स्वागत करते हुए कहा कि यह बजट उत्तर प्रदेश को आत्मनिर्भर, समृद्ध और सशक्त बनाने की दिशा में एक निर्णायक कदम है। उन्होंने कहा कि सरकार ने कृषि, शिक्षा, स्वास्थ्य, रोजगार सृजन, महिला सशक्तिकरण और बुनियादी ढांचे के विकास जैसे महत्वपूर्ण क्षेत्रों को प्राथमिकता दी है, जिससे समाज के हर वर्ग को लाभ मिलेगा। उदय प्रताप सिंह ने कहा कि यह बजट अंत्योदय से सर्वोदय की भावना को साकार करता है। किसानों की आय बढ़ाने, युवाओं को रोजगार के अवसर प्रदान करने, शिक्षा की गुणवत्ता सुधारने और स्वास्थ्य सेवाओं को सुदृढ़ बनाने के लिए कई महत्वपूर्ण प्रावधान किए गए हैं।

4 अंतरजनपदीय चोर गिरफ्तार, माल बरामद

देवरिया। पुलिस अधीक्षक संजीव सुमन के निर्देशन में भलुअनी पुलिस ने चार अंतरजनपदीय चोरों को गिरफ्तार कर चोरी का माल बरामद किया है। गिरफ्तार आरोपियों में कमलेश चौहान, दीपू चौहान, गोपाल चौहान (जनपद सीतापुर) तथा प्रदीप कुमार (जनपद मऊ) शामिल हैं। इनके पास से 15 हजार रुपये नकद, बिछिया, पायल, अंगूठी, नाक की कील, जिउतिया, कान की झाली व झुमका बरामद हुआ। यह कार्रवाई मु0अ0सं0 18/2026 के तहत की गई, जिसमें 1/2 फरवरी 2026 की रात पठखौली निवासी राजेश्वर प्रसाद के घर नकबजनी की घटना हुई थी। पुलिस ने बताया कि इस गिरफ्तारी से सलेमपुर, सुरौली व गौरीबाजार थानों में दर्ज कुल चार चोरी के मामलों का खुलासा हुआ है। विधिक कार्रवाई जारी है।

कार्यालय ग्राम पंचायत असहन जगतपुर वि0ख0 बछरावाँ, रायबरेली

अल्पकालीन निविदा

ग्राम पंचायत असहन जगतपुर विकास खंड बछरावाँ, रायबरेली में मनरेगा राज्यवित्त केन्द्रियवित्त योजना के अन्तर्गत कराये जाने वाले विकास कार्य हेतु वर्ष 2025-26 में स्वीकृत निर्माण कार्य पर निम्नलिखित सामग्री की आपूर्ति हेतु निविदायें आनन्त्रित की जाती है। इच्छुक आपूर्तिकर्ता दिनांक 15/02/2026 को अपरान्ह 2:00 बजे तक एक या एक से अधिक सामग्री की आपूर्ति हेतु अपनी दरे बन्द लिफाफे में ग्राम पंचायत कार्यालय असहन जगतपुर में डाल सकते हैं आपूर्ति सामग्री का विवरण निम्नवत् है-

क्रम सं	योजना का नाम	सामग्री का नाम	कार्य का नाम	मात्रा (अनुमानित)	धरोहर धनराशि
1-	मनरेगा	सीमेंट ईट	इंटरलॉकिंग निर्माण पक्की रोड से शकील अहमद के घर तक	7559 ईट	2% नियमानुसार

उपरोक्त सामग्री की आपूर्ति की जानी है सामग्री की गुणवत्ता मानक के अनुसार होनी चाहिए जिसका उल्लेख शर्तों में किया गया है।

नियम व शर्तें –

आपूर्तिकर्ता फर्म का रजिस्ट्रेशन सेल्स टैक्स विभाग में होना चाहिए।
निविदा स्वीकृत/अस्वीकृत करने का अधिकार ग्राम पंचायत का होगा।
अन्य नियम व शर्तें निविदा प्रपत्र के साथ प्राप्त कर सकते हैं।

ग्राम पंचायत अधिकारी
ग्राम पंचायत असहन जगतपुर
वि०ख0 बछरावाँ, रायबरेली

संक्षिप्त खबरें

प्रधान के आवास पर देर रात विस्फोट

सुल्तानपुर में सुतली बम से हमले का आरोप

सुल्तानपुर- कोतवाली देहात क्षेत्र के जुराड़ा ग्राम पंचायत के प्रधान अनिल मिश्रा के लोहरामऊ स्थित आवास पर मंगलवार देर रात संदिग्ध विस्फोट हुआ। इस घटना से इलाके में हड़कंप मच गया। सूचना मिलने पर पहुंची देहात कोतवाली पुलिस को मौके पर सुतली बम फटने जैसे संकेत मिले हैं। विस्फोट की तेज आवाज सुनकर आसपास के लोग सहम गए। पुलिस ने तुरंत सक्रियता दिखाते हुए घटनास्थल और आसपास के क्षेत्र का निरीक्षण किया। हालांकि, इस घटना में किसी के घायल होने की कोई सूचना नहीं है, लेकिन क्षेत्र में दहशत का माहौल बना हुआ है।

देहात कोतवाल धर्मवीर सिंह ने बताया कि मामला संदिग्ध प्रतीत हो रहा है और पुलिस हर पहलू से जांच कर रही है। मौके से आवश्यक साक्ष्य जुटाए जा रहे हैं और आसपास लगे सीसीटीवी कैमरों की फुटेज भी खंगाली जा रही है। तहरीर मिलने और जांच पूरी होने के बाद आगे की विधिक कार्रवाई की जाएगी। एक सीसीटीवी फुटेज में तीन युवक मुंह पर कपड़ा बांधकर प्रधान के घर पर कुछ फेंकते हुए दिखाई दे रहे हैं। इनमें से एक काली जैकेट पहने युवक ने सुतली बम जैसी वस्तु फेंकी, जबकि सफेद और काले शर्ट पहने दो अन्य युवक उसके साथ थे। प्रधान अनिल मिश्रा ने थाने में घटना की तहरीर देकर कार्रवाई की मांग की है। देहात कोतवाल ने पुष्टि की है कि सीसीटीवी फुटेज के आधार पर कार्रवाई की जा रही है।

करोड़पति की कार से एक्सीडेंट मामले में रिपोर्ट कर्ता ने किया समझौता, बेटे की जगह चालक पेश

कानपुर। यहां के बहुचर्चित करोड़पति तम्बाकू व्यवसाई के के मिश्रा के बेटे शिवम द्वारा किए गये लेम्बोर्गिनी कार से चार लोगों को टक्कर मारने के मामले में एकदम से नया मोड़ आ गया है। ऐसा मुकदमा जारी करने वाले वादी द्वारा समझौता कर लेने और बेटे शिवम की जगह चालक मोहन द्वारा कार चलाने की बात कहने और इस आधार पर कोर्ट में अर्जी डालने की वजह से हुआ है। मिली जानकारी के मुताबिक पहले कथित ड्राइवर ने दोपहर में कोर्ट में सरेंडर कर दिया। फिर मुकदमा दर्ज कराने वाले मो. तौसीफ ने समझौता कर लिया। यह बात अलग है कि कोर्ट ने आरोपी नहीं मानते हुए ड्राइवर मोहन की अर्जी खारिज कर दी। कोर्ट ने कहा कि पुलिस रिपोर्ट में आरोपी शिवम है, मोहन का कहीं नाम नहीं है। इसलिए उसकी जमानत याचिका मंजूर नहीं की गई। कार अभी थाने में ही रहेगी। इसी मामले में इससे पहले ड्राइवर मोहन वकील नरेंद्र कुमार यादव के साथ कोर्ट पहुंचा। मोहन ने कहा कि शिवम मिश्रा की गाड़ी में ही चला रहा था। शिवम को दौरा पड़ गया था। इस बीच उसने आगे जो बयान दिया उसके मुताबिक उसका कहना है कि उस वक्त मैं घबरा गया था। कुछ समझ नहीं आया। उसी वक्त हादसा हो गया। जब शीशा तोड़ा और दरवाजा खोला गया तो मैं नीचे से निकल गया था। बाउंसर ने शिवम को निकाला था। हादसे के बाद मैं कोने में खड़ा हो गया था। शिवम को दूसरी गाड़ी में ले जाया गया था। फिलहाल पुलिसअपनी जांचके आधार पर ही अग्रिम कार्रवाई पर लगातार जुटी हुई है। पुलिस की जांच के जाड़े मेंकर चालक के रूप में अभी तक शिवम ही आरोपी साबित हुआ है। जिसके आधार परकार्रवाई की जा रही है।

हनुमान जयंती भव्यता से मनाने जनसंपर्क अभियान शुरू

ललितपुर। श्री रामलीला हनुमान जयंती महोत्सव समिति के तत्वाधान समिति संचालक पं.रमेश कुमार रावत के नेतृत्व में आज चंडी मंदिर, स्टेशन क्षेत्र में जनसंपर्क व अंशदान लेने हेतु हनुमान जयंती पर्व को लेकर तैयारी शुरू कर दी गई है। इसी संबंध में श्री रामलीला हनुमान जयंती महोत्सव समिति के पदाधिकारी अंशदान व आप सभी के विचार लेने के लिए नगर में जनसंपर्क कर रहे है। नगरवासियों से समिति ने सुझाव भी मांगे हैं ताकि हनुमान जयंती पर्व धूमधाम के साथ मनाया जा सके। इस दौरान समिति अध्यक्ष पं.बृजेश चतुर्वेदी, अशोक पटैरिया, पं.जगदीश पाठक, प्रबंधक हरविंदर सिंह सलूजा, उपाध्यक्ष राजेश दुबे, कोषाध्यक्ष अमित तिवारी, मंत्री राकेश तामिया, पं.मुन्नालाल त्यागी, भरत रिछारिया, अवधेश कौशिक, कृष्णकांत तिवारी, पत्रकार पवन संज्ञा, शिवमोहन रिछारिया, के.के. साहू, आदि मौजूद थे।

श्रीभूमि जिले के आनिपुर पूर्त सड़क का आरसीसी पुल टूटने से चार घायल! इलाके में गंभीर तनाव

स्वतंत्र प्रभात संवाददाता

श्रीभूमि : खतरा कभी भी पूर्व सूचना के साथ नहीं आता–किसी भी समय, किसी भी पल यह घट सकता है। ठीक इसी तरह श्रीभूमि जिले के रामकृष्णनगर विधानसभा क्षेत्र के आनिपुर पूर्त सड़क इलाके में एक भीषण दुर्घटना हुई। आज 11 फरवरी (बुधवार) को अचानक सड़क के बीच में स्थित एक आरसीसी पुल गिर गया। इस अचानक घटना से कुछ ही क्षणों में पूरे इलाके में दहशत फैल गई। पुल टूटने की वजह से दो मिट्टी और सेंटी से भरे डंपर, दो ऑल्टो कारें, एक बोलरो पिकअप, एक मोटरसाइकिल और एक छोटा ट्रक क्षतिग्रस्त हो गए। इस भयानक दुर्घटना में कम से कम चार लोग गंभीर रूप से घायल हुए। स्थानीय निवासियों ने तुरंत बचाव कार्य शुरू किया और घायल लोगों को पुल के नीचे से निकालकर रामकृष्णनगर अस्पताल भेजा। बताया जा रहा है कि उनका इलाज चल रहा है। घटना के बाद से ही इलाके में गंभीर तनाव पैदा हो गया है। स्थानीय लोगों का आरोप है कि लंबे समय से पुल की स्थिति अत्यंत खतरनाक थी, लेकिन उचित मरम्मत या निगरानी की कोई व्यवस्था नहीं की गई। प्रशासन की भूमिका पर कई लोगों ने सवाल उठाए हैं। इस घटना को लेकर इलाके में शांत और गंभीर माहौल कायम है। स्थानीय निवासियों ने प्रशासन से त्वरित कार्रवाई करने और इस घटना की सही तरीके से जांच कराने की मांग की है।

पीएस कालिंदी कुंज पुलिस ने 18 घंटे में सुलझाया लूट का मामला, तीन आरोपी गिरफ्तार

स्वतंत्र प्रभात संवाददाता

नई दिल्ली : कालिंदी कुंज थाना पुलिस ने त्वरित कार्रवाई करते हुए लूट के एक मामले का मात्र 18 घंटे के भीतर सफल खुलासा कर दिया। पुलिस ने इस मामले में तीन आरोपियों को गिरफ्तार कर उनके कब्जे से लूटा गया सैमसंग एस24 एफई मोबाइल फोन बरामद किया है, जबकि एक अन्य सह-आरोपी अभी फरार है, जिसकी तलाश जारी है।प्राप्त जानकारी के अनुसार 09 फरवरी 2026 को रात लगभग 9:15 बजे पीएस कालिंदी कुंज में पीसीआर कॉल के माध्यम से दिल्ली-मुंबई एक्सप्रेसवे स्थित खादर पुलिया बस स्टैंड के पास लूट की घटना की सूचना प्राप्त हुई। सूचना मिलते ही पुलिस टीम तुरंत मौके पर पहुंची, जहां शिकायतकर्ता जगदीश सिंह, पुत्र लक्ष्मण सिंह, निवासी मदनपुर खादर, सरिता विहार, नई दिल्ली (आयु 42 वर्ष, एलआईसी कर्मचारी) मौजूद मिले। शिकायतकर्ता के बयान के आधार पर थाना कालिंदी कुंज में एफआईआर संख्या 125/2026 दिनांक 10.02.2026 धारा 309/3(5) बीएनएस के तहत मामला दर्ज कर जांच शुरू की गई।मामले की गंभीरता को देखते हुए निरीक्षक जतन सिंह, एसएचओ कालिंदी कुंज के नेतृत्व और निगरानी में निरीक्षक सुरेन्द्र सिंह, एटीओ, एसआई राकेश, हेड कांस्टेबल कुलश्रेष्ठ, हेड कांस्टेबल भारत तथा कांस्टेबल अभय की एक विशेष टीम गठित की गई। टीम ने घटनास्थल और आसपास के मार्गों के लगभग 50 से अधिक सीसीटीवी फुटेज का सूक्ष्म विश्लेषण किया।

स्थानीय खुफिया जानकारी और तकनीकी निगरानी की मदद से चार संदिग्धों की पहचान की गई, जिनमें से तीन आरोपियों को घटना के मात्र 18 घंटे के भीतर गिरफ्तार कर लिया गया, जबकि एक सह-आरोपी अभी फरार है। गिरफ्तार आरोपियों की निशानदेही पर लूटा गया मोबाइल फोन भी बरामद कर लिया गया।पूछताछ के दौरान आरोपियों ने लूट की घटना में अपनी संलिप्तता स्वीकार की। उन्होंने बताया कि वे आसान शिकार की तलाश में इलाके की रेकी कर रहे थे और बस स्टैंड के पास अकेले खड़े पीड़ित को देखकर उसे निशाना बनाया। वारदात के बाद उन्होंने मोबाइल फोन छिपा दिया था, जिसे बाद में उनकी निशानदेही पर बरामद किया गया। पुलिस अब आरोपियों से पूछताछ कर अन्य मामलों में उनकी संलिप्तता की जांच कर रही है तथा फरार सह-आरोपी नूर नवी की तलाश जारी है।गिरफ्तार आरोपियों की पहचान दिलवर अली 23 वर्ष निवासी मदनपुर खादर; सोरिफुल 19 वर्ष, निवासी मदनपुर खादर; तथा मोहिन 22 वर्ष निवासी मदनपुर खादर के रूप में हुई है। पुलिस के अनुसार तीनों आरोपियों का पूर्व में कोई आपराधिक रिकॉर्ड नहीं है। वहीं फरार आरोपी नूर नबी, निवासी मदनपुर खादर की गिरफ्तारी के लिए पुलिस की टीमें लगातार दबिश दे रही हैं।6 दक्षिण-पूर्वी जिला पुलिस उपायुक्त कार्यालय के अनुसार, पुलिस की तत्परता, तकनीकी विश्लेषण और सतर्क कार्रवाई के चलते इस मामले का शीघ्र खुलासा संभव हो सका तथा आगे भी क्षेत्र में अपराध पर प्रभावी नियंत्रण के लिए अभियान जारी रहेगा।

रानीगंज के शिवगढ़ विकास खंड के सभागार में हुआ विधिक सेवा शिविर का आयोजन

● लोगों को विधिक रूप से शसक्त बनाना विधिक साक्षरता शिविर का उद्देश्य-सिविल जज सी डिवीजन

स्वतंत्र प्रभात संवाददाता

प्रतापगढ़। जिला विधिक सेवा प्राधिकरण प्रतापगढ़ के तत्वाधान में विकास खंड शिवगढ़ सभागार में विधिक साक्षरता एवं जागरूकता शिविर का आयोजन किया गया। शिविर में मुख्य अतिथि के रूप में उपस्थित सचिव सिविल जज सीनियर डिवीजन शांभवी द्वितीय का खंड विकास अधिकारी संजय नारायण झा द्वारा बुके भेंट कर अंगवस्त्र से सम्मानित किया। इसके उपरांत मुख्य अतिथि द्वारा मां सरस्वती के चित्र पर माल्यार्पण कर कार्यक्रम का शुभारंभ किया गया। शिविर में उपस्थित लोगो को संबोधित करते हुए सचिव ने कहा कि संविधान में अनुच्छेद 39 में सभी को न्याय का अधिकार प्राप्त है। अशिक्षा जागरूकता की कमी या आर्थिक कारण से कोई भी महिला दिव्यांग वरिष्ठ नागरिक पिछड़े अनुसूचित जाति जनजाति व समाज के अंतिम पायदान पर खड़ा व्यक्ति न्याय से वंचित नहीं रह सकता। उसके लिए विधिक सेवा प्राधिकरण में निःशुल्क न्याय की व्यवस्था की गई है । प्रत्येक तहसील में लीगल एड क्लीनिक पर नियुक्त स्वयंसेवक के माध्यम से प्राप्त समस्या का समाधान प्राधिकरण द्वारा किया जाता है कोई भी पीड़ित व्यक्ति अपनी समस्या के समाधान हेतु सीधे प्राधिकरण कार्यालय में संपर्क कर सकते हैं। लोक अदालत में सुलह समझौते के माध्यम से बैंक बीमा विद्युत एमवी एक्ट वैवाहिक विवाद का निपटारा करा सकते हैं या टोल फ्री नंबर 15100 पर कॉल कर सहायता प्राप्त कर सकते हैं। शिविर में उपस्थित तहसीलदार रानीगंज अजय संतोषी ने तहसील स्तर पर होने वाली जनसुनवाई की जानकारी प्रदान की।

मिशन शक्ति प्रभारी थाना रानीगंज सारिका शर्मा ने महिलाओं की सुरक्षा स्वावलम्बन व सशक्तिकरण साइबर क्राइम सोशल मीडिया के दुरुपयोग को लेकर जानकारी दी। सीएचसी रानीगंज की डॉ सुषमा ने सर्वाइकल कैंसर टीकाकरण महिलाओं के स्वास्थ्य को लेकर जागरूक किया। जिला प्रोवेशन विभाग की जिला समन्वयक जया यादव ने बाल सेवा योजना कन्या सुमंगला विधवा पेंशन योजना की पात्रता व लाभ के बारे में बताया। पराविधिक स्वयंसेवक दिनेश कुमार मिश्र ने नशामुक्ति दैवीय आपदा सहायता घरेलू हिंसा मानव तस्करी विषय पर अपनी बात रखी। पराविधिक स्वयंसेवक महेंद्र कुमार त्रिपाठी सुरेंद्र सरोज प्रीति दूबे ने भी लोगो को जानकारी दी शिविर का संचालन पराविधिक स्वयंसेवक अनिल कुमार पाण्डेय द्वारा किया गया। कार्यक्रम में पराविधिक स्वयंसेवक अवधेश चौधरी, राजेश त्रिपाठी, सर्वेश दूबे, जितेंद्र कुमार, गिरीश पांडेय, सुनील मिश्रा, विशाल त्रिपाठी, वंदना शुक्ला, सरिता मौर्य, श्रद्धा त्रिपाठी, बीएमएम विपिन मिश्रा, आंगनवाड़ी आशा स्वयं सहायता समूह की महिलाएं ब्लॉक के कर्मचारी सफाई कर्मी सहित भारी संख्या में लोग उपस्थित रहे।

प्रमोद व मोना ने योगी सरकार के बजट को निराशाजनक तथा जनता के साथ छलावा दिया करार

स्वतंत्र प्रभात संवाददाता

लालगंज, प्रतापगढ़। क्षेत्रीय विधायक एवं कांग्रेस विधानमण्डल दल की नेता आराधना मिश्रा मोना तथा राज्यसभा में विपक्ष के उपनेता प्रमोद तिवारी ने प्रदेश की योगी सरकार के विधानसभा में पेश किये गये बजट को जनता के साथ विश्वासघात करार देते हुए इसे निराशाजनक कहा है। राज्यसभा में विपक्ष के उपनेता प्रमोद तिवारी तथा कांग्रेस विधानमंडल दल नेता आराधना मिश्रा मोना ने प्रतिक्रिया व्यक्त करते हुए कहा है कि यह घोर निराशाजनक, किसान, युवा एवं बेरोजगार विरोधी बजट है। नेताद्वय ने साफ कहा है कि बजट में बेरोजगार युवाओं को धोखा मिला है। बकौल आराधना मिश्रा मोना अनुदेशकों के लिए उच्च न्यायालय ने बढ़े मानदेय और एरियर का आदेश दिया, लेकिन सरकार ने बजट में कोई प्रावधान नहीं किया। बजट में नई योजनाओं को पांच प्रतिशत भी नहीं दिया। नेताद्वय ने कहा कि आश्चर्य है कि नौ लाख बारह हजार करोड़ के बजट में नई योजनाओं में तो सिर्फ तैतालिस हजार करोड़ रुपये मिले हैं।आराधना मिश्रा मोना ने कहा कि प्रदेश के लिए सबसे महत्वपूर्ण निवेश, युवाओं के रोजगार और बुनियादी ढांचे के लिए कोई ठोस प्रबंध नहीं किये। प्रमोद तिवारी एवं विधायक आराधना मिश्रा मोना ने कहा कि आउटसोर्सिंग के लिए बीजेपी योगी आदित्यनाथ सरकार ने घोषणा की थी कि न्यूनतम मानदेय देंगें लेकिन बजट में कोई आवंटन नही, ये नौजवानों को धोखा है। सीएलपी नेता आराधना मिश्रा मोना ने बजट में पूर्वांचल और बुंदेलखंड के पिछड़ेपन को दूर करने को लेकर भाजपा योगी आदित्यनाथ सरकार द्वारा की गई उपेक्षा पर नाराजगी व्यक्त की है। विधायक आराधना मिश्रा मोना ने कहा की प्रदेश के सैतीस पिछड़े जिले पूर्वांचल और बुंदेलखंड से आते हैं, इसीलिए कांग्रेस सरकारों ने पूर्वांचल और बुंदेलखंड के लिए विशेष पैकेज की व्यवस्थाएं प्रावधान की थी लेकिन इस बजट में भी पूर्वांचल और बुंदेलखंड को निराशा हाथ लगी है।सांसद प्रमोद तिवारी एवं विधायक आराधना मिश्रा मोना ने कहा कि कृषि प्रधान प्रदेश का मुख्यमंत्री होने के नाते योगी आदित्यनाथ को बजट में किसानों के लिए कोई नई योजनाएं नहीं है। मुफ्त बिजली की घोषणा हवा में ही है।ऐसे में किसानों की आय दुगुनी करने का जुमला मौजूदा विकास दर में बावन वर्षो में पूरा हो सकता है। आराधना मिश्रा मोना ने कहा कि सरकार एक लाख पचीस हजार करोड़ का वित्तीय घाटा पूरा करने की योजना पर मौन है,उसके लिए जरूरी संसाधन का बजट में कोई प्रावधान नहीं किया गया है। सांसद प्रमोद तिवारी एवं कांग्रेस विधायक आराधना मिश्रा मोना ने कहा कि इस बजट से यह साबित हो गया कि यह सरकार का अंतिम और विदाई का बजट है। विपक्ष के उपनेता प्रमोद तिवारी एवं सीएलपी नेता आराधना मिश्रा ने कहा कि यह स्पष्ट है कि प्रदेश की जनता 2027 में बीजेपी सरकार की विदाई सुनिश्चित करेगी। सांसद प्रमोद तिवारी एवं विधायक आराधना मिश्रा मोना का बजट पर यह संयुक्त बयान मीडिया प्रभारी ज्ञानप्रकाश शुक्ल के हवाले से बुधवार को यहां निर्गत किया गया है।

बाइक की टक्कर से महिला घायल, इलाज के दौरान मौत

लालगंज, प्रतापगढ़। बाइक की टक्कर से महिला की मौत हो गयी। मौत की जानकारी होने पर परिजनों में कोहराम मच गया। सूचना पर पहुंची पुलिस ने शव को कब्जे मे लेकर पीएम के लिए जिला मुख्यालय भेजवाया। लालगंज कोतवाली के केदौरा परसरवा गांव की लाली 60 पत्नी मथुरा बीती मंगलवार की शाम घर के सामने बैठी थी। इसी दौरान उधर से गुजर रहे तेज गति की बाइक सवार ने वृद्धा को जोरदार टक्कर मार दिया। जिससे वृद्धा गंभीर रूप से घायल हो गयी। परिजन उसे इलाज के लिए ट्रामा सेंटर लालगंज ले आये। यहां हालत गंभीर देख चिकित्सकों ने जिला अस्पताल रेफर कर दिया। जहां इलाज के दौरान रात में ही वृद्धा की मौत हो गयी। मौत की जानकारी होते ही परिजनों में कोहराम मच गया। मृतका के दो पुत्र अनिल व राधेश्याम तथा चार पुत्रियां सीता, प्रियांशु, रीता व गीता हैं। प्रभारी निरीक्षक आलोक कुमार का कहना है कि तहरीर मिलने पर मुकदमा दर्ज किया जाएगा।

महिला पर पड़ोसियों का हमला, हाथ कटा

● जमीन विवाद में मारपीट, पुलिस पर कार्रवाई न करने का आरोप

स्वतंत्र प्रभात संवाददाता

सुल्तानपुर- बल्दीराय थाना क्षेत्र में जमीन विवाद को लेकर पड़ोसियों ने एक महिला और उसकी मां पर हमला कर दिया। इस हमले में महिला का हाथ कट गया और उसे गंभीर चोटें आईं, जिससे अत्यधिक रक्तस्राव हुआ। यह घटना 17 जनवरी को बेराता एजर गांव में हुई। पीड़िता कल्पना पाण्डेय ने पुलिस अधीक्षक को दिए प्रार्थना पत्र में बताया कि 17 जनवरी को उनके पड़ोसी संदीप पाण्डेय, संतोष पाण्डेय, राजेश पाण्डेय, कृष्ण कुमार पाण्डेय और शिव कुमार पाण्डेय जबरन उनकी जमीन पर कब्जा करने की नीयत से आए थे।

जब कल्पना और उनकी मां माधुरी पाण्डेय ने उन्हें रोका, तो आरोपियों ने उन्हें मां-बहन की गालियां दीं और मारपीट शुरू कर दी। कल्पना के अनुसार, संदीप पाण्डेय ने जान से मारने की नीयत से राजगीर की कन्नी (करणी) से उनके सिर पर वार किया। कल्पना ने बचाव के लिए भागने की कोशिश की, लेकिन कन्नी उनके बाएं हाथ में लग गई, जिससे उनका हाथ कट गया। इसके बाद आरोपी उन्हें मारने की नीयत से घर में घुस गए। जब कल्पना की मां बीच-बचाव करने आईं, तो उन्हें भी लात-घूंसों से बुरी तरह पीटा गया। संतोष पाण्डेय ने कल्पना के पेट पर कई लातें मारीं, जिससे उन्हें अत्यधिक रक्तस्राव होने लगा। कल्पना और उनकी मां के शोर मचाने पर आसपास के लोग इकट्ठा होने लगे, जिसे देखकर आरोपी मौके से फरार हो गए। पीड़िता ने तत्काल डायल 112 पर पुलिस को सूचना दी।

पुलिस मौके पर पहुंची और उन्हें बल्दीराय थाने चलने को कहा। थाने पहुंचने पर कल्पना पाण्डेय का मेडिकल परीक्षण कराया गया। पीड़िता का आरोप है कि उन्होंने इस संबंध में कई बार प्रार्थना पत्र दिए हैं, लेकिन आरोपियों के प्रभाव के कारण आज तक कोई कार्रवाई नहीं की गई है। कल्पना पाण्डेय ने पुलिस अधीक्षक से अपनी प्रथम सूचना रिपोर्ट (FIR) दर्ज कर आरोपियों के खिलाफ उचित कार्रवाई करने की मांग की है।

श्रीभूमि जिले के सिंगलाछड़ा में मॉडल सेकेंडरी स्कूल का उद्घाटन

● विधायक विजय मालाकार बोले– शैक्षिक संरचना में बागान क्षेत्र पीछे नहीं है

स्वतंत्र प्रभात संवाददाता

श्रीभूमि : श्रीभूमि जिले के रामकृष्णनगर विधानसभा क्षेत्र के अंतर्गत सिंगलाछड़ा में नवनिर्मित मॉडल सेकेंडरी स्कूल का उद्घाटन आज 11 फरवरी (बुधवार) को आयोजित एक कार्यक्रम के माध्यम से किया गया। विद्यालय का उद्घाटन क्षेत्रीय विधायक विजय मालाकार ने किया। कार्यक्रम की शुरुआत भारत माता की प्रतिमा पर दीप प्रज्वलन के साथ हुई तथा उपस्थित विशिष्ट अतिथियों का पारंपरिक रूप से स्वागत किया गया। सभा को संबोधित करते हुए विधायक विजय मालाकार ने कहा कि भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व तथा असम के मुख्यमंत्री डॉ. हिमंत बिस्वा शर्मा के प्रयासों से राज्य के बागान क्षेत्रों में व्यापक विकास कार्य हो रहे हैं। उन्होंने कहा कि वर्तमान सरकार सड़क निर्माण, शैक्षणिक संस्थानों के विकास में पारदर्शिता के साथ कार्य कर रही है। उन्होंने यह भी उल्लेख किया कि बागान क्षेत्र के चाय समुदाय के लोगों के मूल अधिकारों की रक्षा के लिए सरकार प्रतिबद्ध है और भूमि पट्टों का वितरण किया जा रहा है, ताकि चाय श्रमिक प्रधानमंत्री आवास योजना के लाभ से वंचित न रहें। विधायक ने कहा कि शैक्षिक संरचना में बागान क्षेत्र पीछे नहीं है। स्वतंत्रता के बाद पहली बार बागान क्षेत्रों में शिक्षा संरचना पर विशेष ध्यान दिया जा रहा है, जिससे विद्यार्थियों की विभिन्न समस्याओं का समाधान संभव हो सके। उन्होंने इसे मुख्यमंत्री डॉ. हिमंत बिस्वा शर्मा की दूरदर्शी सोच का परिणाम बताया। साथ ही आगामी चुनाव में असम के विकास को ध्यान में रखते हुए पुनः समर्थन देने का आग्रह किया। कार्यक्रम में दुल्लभछड़ा जिला परिषद सदस्य पंकज राय शर्मा, चेरागी एपी सदस्य, भेटारबंद जीपी के अध्यक्ष बिमल नाथ, विभागीय अभियंता, सिंगलाछड़ा जीपी की अध्यक्ष संगीता कैरी, समाजसेवी उमा

शंकर बनिया, मनिता नाथ सहित अन्य गणमान्य व्यक्ति एवं भाजपा के कार्यकर्ता उपस्थित थे। इस मॉडल स्कूल के निर्माण हेतु जिन महानुभाव ने भूमि दान की, उनके प्रति विधायक विजय मालाकार ने विशेष आभार व्यक्त किया। कार्यक्रम के दौरान विधायक ने स्वयं अपने हाथों से उन्हें पारंपरिक गमछा (तौलिया) भेंट कर सम्मानित किया तथा उनके इस सराहनीय एवं समाजहितैषी कार्य की भूरि-भूरि प्रशंसा की।

पीएम श्री राजकीय बालिका इंटर कालेज में वार्षिकोत्सव व विदाई समारोह भव्य रूप से संपन्न

स्वतंत्र प्रभात संवाददाता

प्रतापगढ़। पीएम श्री राजकीय बालिका इंटर कालेज में विद्यालय का वार्षिकोत्सव एवं इंटरमीडिएट की छात्राओं का विदाई समारोह अत्यंत भव्य एवं रंगारंग कार्यक्रमों के साथ संपन्न हुआ। समारोह में नगर पालिका अध्यक्ष प्रेमलता सिंह मुख्य अतिथि के रूप में उपस्थित रहीं, जबकि भाजपा जिलाध्यक्ष आशीष कुमार श्रीवास्तव अति विशिष्ट अतिथि के रूप में शामिल हुए।कार्यक्रम में युवा नेता विशाल विक्रम, सह जिला विद्यालय निरीक्षक आरपी सरोज तथा डीसी माध्यमिक रंजन प्रताप की भी गरिमामयी उपस्थिति रही। मुख्य अतिथि प्रेमलता सिंह ने अपने संबोधन में कहा कि बालिकाओं के विद्यालय में आकर उन्हें अत्यंत प्रसन्नता हो रही है। उन्होंने कहा कि आज की बेटियां सशक्त हैं और सफलता के मार्ग पर निरंतर अग्रसर हैं। उनके उत्थान और विकास के लिए हर संभव प्रयास किया जाएगा। उन्होंने नगर पालिका के माध्यम से विद्यालय में एक स्मार्ट टॉयलेट स्थापित कराने की घोषणा भी की। भाजपा जिलाध्यक्ष आशीष कुमार श्रीवास्तव ने अपने वक्तव्य में कहा कि ये बेटियां विकसित भारत का उज्ज्वल भविष्य हैं। उन्हें पूर्ण रूप से सशक्त और सुरक्षित वातावरण प्रदान करना हम सबकी जिम्मेदारी है।कार्यक्रम के दौरान विद्यालय की मेधावी छात्राओं तथा विभिन्न प्रतियोगिताओं में प्रथम, द्वितीय एवं तृतीय स्थान प्राप्त करने वाली छात्राओं को मुख्य अतिथि द्वारा सम्मानित किया गया।

सांस्कृतिक प्रस्तुतियों ने समारोह को और भी आकर्षक बना दिया। समारोह में प्रधानाचार्य गीता यादव, उप प्रधानाचार्य डॉ. मोहम्मद अनीश, समस्त विद्यालय परिवार, कार्यालय स्टाफ एवं छात्राएं उपस्थित रहीं। अंत में उप प्रधानाचार्य डॉ. मोहम्मद अनीश ने सभी अतिथियों एवं उपस्थित जनों के प्रति आभार व्यक्त किया।

निःशुल्क नेत्र शिविर में 70 मरीजों की आंखों का हुआ परीक्षण, बंटा चश्मा

लालगंज, प्रतापगढ़। लक्ष्मणपुर ब्लाक के पूरनपुर खजूर में बुधवार को निःशुल्क नेत्र शिविर में 70 मरीजो की आंखो का परीक्षण हुआ। लालगंज के संगम चौराहे स्थित आर्यावर्त हास्पिटल के तत्वावधान में आयोजित शिविर में 25 मरीजों को निःशुल्क चश्मा प्रदान किया गया। शिविर में नेत्र रोग विशेषज्ञ डा0 धर्मेन्द्र सिंह ने लोगों को आंखों की देखरेख को लेकर जागरूकता भी प्रदान की। शिविर में दस रोगियों को ऑपरेशन के लिए चिन्हित किया गया। शिविर में डा0 धीरज व गौरव तथा अतुल ने नेत्र विकार से सावधानी व इलाज के बाबत जानकारियां प्रदान की। आयोजक अशोक कुमार यादव ने शिविर का संयोजन किया। इस मौके पर नागेन्द्र सिंह, राम सिंह, वंशी लाल, अभिनव यादव आदि रहे।

आनंदेश्वर मंदिर में श्रीशतचंडी रुद्र महायज्ञ कानपुर के उद्योगपति व्यापारी व भक्तों के कल्याण हेतु

कानपुर। श्री आनंदेश्वर मंदिर में सतचंडी रुद्र महायज्ञ के द्वितीय दिवस पर आज 21 आचार्य व शास्त्री द्वारा हवनकुंड में आहुति के साथ जूना अखाड़ा संरक्षक अखाड़ा परिषद महामंत्री परम पूज्य हरि गिरि जी महाराज ने मंदिर प्रशासन से फोन पर वार्ता करते हुए जानकारी दी कि महायज्ञ के कहा कि कानपुर बाबा आनंदेश्वर मंदिर में महायज्ञ कानपुर के उद्योगपति व्यापारी व भक्तों के उत्थान विकास कल्याण सहित सुख शांति समृद्धि के लिए आयोजन किया गया श्री शतचंडी रुद्रमहायज्ञ कानपुर बाबा आनंदेश्वर मंदिर के विकास व जीवउद्धार की मनोकामना के लिए भी संकल्प लिया गया है आज जूना अखाड़े के गुरु मूर्ति व मंदिर के कोठारी महान परम पूज्य महाकाल गिरी जी महाराज परम पूज्य जूना अखाड़ा सचिव विवेक पुरी जी महाराज परम पूज्य हितेश गिरी जी महाराज परम पूज्य इच्छा गिरी जी महाराज परम पूज्यअत्रिवन जी महाराज सुनील गिरी जी महाराज मथुरा गिरी जी महाराज अजय पुजारी संजय पुजारी के के तिवारी अनूप मिश्रा व जूना अखाड़ा मीडिया प्रभारी आशुतोष कुमार अंश ने आज नवग्रह की पूजा करते हुए महायज्ञ में सम्मिलित हुए 21 आचार्य ने विधि विधान मंत्रउच्चारण के साथ आज मंदिर परिषद में महायज्ञ का शुभारंभ किया ?जूना अखाड़ा मीडिया प्रभारी आशुतोष कुमार अंश ने बताया कि इस महायज्ञ आयोजन देवताओं की आराधना जिससे मंदिर परिषद का विकास और भक्तों का कल्याण हेतु यह महायज्ञ रखा गया है जूना अखाड़ा संरक्षक व अखाड़ा परिषद महामंत्री परम पूज्य हरि गिरि जी महाराज ने बाबा आनंदेश्वर के भक्तों के कल्याण के लिए मंदिर के विकास हेतु महाशिवरात्रि से पूर्व एक सप्ताह पहले ही महाशिवरात्रि पर्व के रूप में महायज्ञ का आयोजन करने का मंदिर प्रशासन को दिया था निर्देश चंडी पाठ को शक्ति का स्त्रोत कहा गया है, और शक्ति किसी विशेष कर्म को क्रियांवित करने का मूल है। शतचंडी पाठ भी विशिष्ट परिस्थितिओं में शक्ति का आवाहन है। यह विशेषतः षट कर्मों के लिए होता है, अथवा ऐसी परिस्थिति के लिए जिसके आगे आप विवश हैं।